News letter

पुनर्नवा

...bouncing back to life again and again...

जनवरी-मार्च 2020

कोविड-19 : वैश्विक महामारी, पूरी दुनियाँ संक्रमण की चपेट में

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

अगलगी - क्या करें, क्या न करें

गर्मी के दिनों में जब पछुआ हवा तेजी से चलती है तो गांवों में अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं तथा घर, खेत, खलिहान एवं जान–माल को अगलगी से भारी क्षति पहुंचती है। आईये जानते है अगलगी की घटना में क्या करें, क्या न करें

क्या करें

- रसोई घर यदि फूस का हो तो उसकी दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य कर दें तथा रसोई घर की छत ऊँची रखें।
- आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
- हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले सम्पन्न कर लें।
- शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
- मवेशियों को आग से बचने के लिए मवेशी–घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें एवं उनकी निगरानी अवश्य करते रहें।
- पटाखे जलाते समय पानी की बाल्टी तथा रेत की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
- जहाँ पर सामूहिक भोजन बनाने इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहाँ पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखें।
- जहाँ तक संभव हो गर्मियों में दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएँ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे भुनते हैं, ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उनपर निगरानी रखें।
- आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
- अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेटकर/लुढ़क कर बुझाने का प्रयास करें।
- बिजली के लूज तारों से निकली चिनगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है। अतएव जहाँ कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये उर्जा विभाग/संबंधित बिजली कंपनी के अभियंताओं को दें।

क्या न करें।

- दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
- कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगायें।
- घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
- भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं करें।
- जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर–उधर ना फेकें।
- खाना बनाते समय ढीले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनाये। हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
- सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।

News letter
पुनर्नवा
जनवरी-मार्च 2020

**विकास ऐसा हो जो आफत से बचायें,
ऐसा न हो जो की आफत बन जाए।**

संरक्षक मंडल : व्यास जी,
भा0प्र0से0 (से0नि0)
उपाध्यक्ष, बी0एस0डी0एम0

डॉ0 यू के मिश्र,
सदस्य, बी0एस0डी0एम0

पी0 एन0 राय,
आई0पी0एस0, (से0नि0)
सदस्य, बी0एस0डी0एम0

मुख्य संपादक : शशि भूषण तिवारी
(उपाध्यक्ष के ओ0एस0डी0)

वरीय संपादक :
कुलभूषण कुमार गोपाल

संपादक मंडल : बी0 के0 मिश्रा,
डॉ0 जीवन कुमार,
डॉ0 पल्लव कुमार,
नीरज कुमार सिंह,
प्रवीण कुमार

आइटी : श्रीमती सुम्बुल अफरोज,
: मनोज कुमार

इमेल : sr.editor@bsdma.org

बेबसाइट : www.bsdma.org

सोशल मीडिया :
www.facebook.com/bsdma

**आपदा नहीं हो भारी,
यदि पूरी हो तैयारी।**

संपादकीय

आज पूरी दुनिया कोविड–19 के संक्रमण से त्राहिमाम है। चाहे वह विकसित देश अमेरिका, चीन या जापान हो या चाहे तीसरी दुनिया के गरीब देश हो। यह इसलिए कि वर्तमान में इससे निपटने की कोई दवा या सुविधा उपलब्ध नहीं है। जानलेवा कोरोना संक्रमण मानव समुदाय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ज्ञान मुलक समाज में आज इससे निपटने की तैयारी जोरों पर है, पर जब तक इसकी मुकम्मल तैयारी नहीं कर ली जाती है, तब तक हमें इससे बचने के आसान अथवा कठिन उपाय को अपनाना ही पड़ेगा। आसान उपाय का मतलब दो गज की दूरी पर मिलना जुलना, बार–बार हाथ की साबुन से सफाई, भीड़ भाड़ से दूर रहना WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी सुक्षाव का पालन करना। इससे ही हम आसानी से अपने परिवार के साथ समाज को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। अन्यथा दवा आने के पूर्व कोई भी असावधानी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसे नजर अंदाज करना कई विकसित देशों के लोगों पर भारी पर चुका है। आजादी का कभी मतलब यह नहीं होता कि हम बीमारी फैलायें और खुद को खतरा में डालें। इस सुझाव पर धार्मिक संस्थानों–संगठनों ने भी ससमय संदेश देकर लोगों को इससे बचने का सलाह दिया है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। एक बात और, कोरोना सक्रमण ने हमें नये जीवन शैली अपनाने के लिए भी मजबूर कर दिया है। नये जीवन शैली का मतलब अब हमें खान–पान, रहन, सहन, शिक्षा, रोजगार, ऑफिस में काम करने का तरीका बदलने को मजबूर कर दिया है। स्थिति यह है कि आज हम घर में प्रवेश के साथ ही सेनेटाइज होते हैं। घर में प्रवेश के पूर्व अपने द्वारा उपयोग के सभी कपड़े को सेनेटाइज और स्नान कर घर में प्रवेश करते हैं। समय की यह मांग भी है कि हम नए जीवन शैली को अपनाएं।

लॉकडाउन की अवधि में आवोहवा का शुद्ध होना, गंगा समेत अन्य नदियों के जल की शुद्धता बढ़ जाना, धरती की धुंधली छवि में सुधार आना यह सब साबित करता है कि हमने विकास के लिए प्रकृति को काफी क्षति पहुंचा दिया है। अब समय आ गया है कि इस कोरोना काल के अनुभव को जीवन में अपनाएं तब ही हम विज्ञान की प्रगति और मानवीय सजगता से प्रकृति के साथ बेहतर जीवन जी सकते हैं। इससे ही देश और दुनिया का भला भी कर सकते हैं।

इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संदेश जारी कर लोगों से अपील किया है कि इससे बचें और दूसरों को बचायें भी। अन्यथा लापरवाही की वजह से कोरोना से न हम बचेगें और न ही दूसरों का बचा सकेंगे। पाठकों से भी अपील है कि जनहित में जारी प्राधिकरण के संदेशो को अपने जीवन में लागू करें। दूसरों को भी लागू करने के लिए प्रेरित करें। प्राधिकरण के संदेश में लोगों से अपील किया गया है कि बुखार होने, सूखी खाँसी होने, गले में खरांस होने व सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्षण पर तुरंत 104 पर सहायता के लिये फोन करें। अनावश्यक यात्रा नहीं करें। भीड़–भाड़ वाले जगहों पर नहीं जायें। किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात करें तो एक मीटर से ज्यादा दूरी से बात करें। खाँसने और छींकने के दौरान अपने नाक और मुँह को टिशू पेपर, रूमाल या अपनी कोहनी से ढ़कें। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार–बार 20 सकेंड तक धोएँ। बाहर खुले में नहीं थूकें। थूकने पर मिट्टी या राख से उसे ढक दें। अपने हाथों से अपना चेहरा, नाक और आँख बार–बार न छुएं फिलहाल इन उपायों से अपने और अपने आस–पास के लोगों को आप भली–भांति बचा सकतें हैं।

शशि भूषण तिवारी
(मुख्य संपादक)

क्र0 स0	विषय	लेखक	पेज संख्या
1.	Covid-19 : वैश्विक महामारी, पूरी दुनियाँ संक्रमण की चपेट में	घनश्याम मिश्र	04
2.	जैविक आपदा (करोना वायरस) से बचाव में एस0 डी0 आर0 एफ0	कृष्ण कुमार झा	09
3.	Fire risk in India : emerging challenges	Paras Nath Rai	11
4.	जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना	डॉ0 सतेन्द्र	14
5.	आपदा फोटोग्राफी	शहनवाज अनवर	16
6.	उद्योगों में आपदा प्रबंधन : आवश्यकता एवं महत्व	डॉ0 जीवन कुमार	19
	अंतरराष्ट्रीय गतिविधि		
7.	बिम्सटेक : आपदा प्रबंधन पर संयुक्त अभ्यास	अजीत कुमार सिंह	21
	राष्ट्रीय गतिविधि		
8.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी	अशोक कुमार शर्मा	25
9.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		27
10.	सड़क सुरक्षा सप्ताह : व्यापक पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन		28
11.	सड़क सुरक्षा सप्ताह : सम्मानित हुए हितभागी		30
12.	12744 राजमिस्त्री एवं 2414 अभियंता लिए ट्रेनिंग भूकम्परोधी निर्माण की ट्रेनिंग जारी		31
13.	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम : सुरक्षित भविष्य के लिए		36
14.	जिला स्तरीय "सड़क सुरक्षा जागरूकता" कार्यक्रम		37
15.	आपदा से बचने की मिली जानकारियाँ		38

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम

16.	भोजपुर एवं बेगूसराय के पदाधिकारियों की बैठक		40
17.	पटना जिले के पंडारक, मनेर एवं फतुहा प्रखण्डों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स एवं पदाधिकारियों की बैठक		41
18.	लू से निपटने की तैयारी : कार्ययोजना के लिए कार्यशाला का आयोजन		42
19.	आपदा से निपटने में सक्षम होगें पुलिस अधिकारी 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' की मिला प्रशिक्षण		43
20.	सम्मानित हुए भूकंप सुरक्षा अभियान के हितभागी		44
21.	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम		45
22.	मास मैसेजिंग : आपदा से निपटने के लिए जनहित में जारी हुए संदेश		47
23.	सुरक्षित आशियाना : भूकम्परोधी भवन निर्माण के लिए प्रशिक्षण		48
24.	अगलगी पर नियंत्रण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला'' का आयोजन		50
25.	कोरोना से लड़ने वाले वीर योद्धा	चंद्रगुप्त नाथ तिवारी	51

आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी।

Covid-19 : वैश्विक महामारी पूरी दुनियाँ संक्रमण की चपेट में

घनश्याम मिश्र

कोरोना (कोविड–19) पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस संक्रमण की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। कोरोना वायरस यो कोविड–19 से बचने की दवाई या टीका नहीं होने के कारण पूरी दुनिया असहाय महसूस कर रही है। हालांकि हर चुनौती मानव समाज को ऐसे निपटने का बल देती है। पूरी दुनिया इस सक्रमण का इलाज के लिए टीका या अन्य तरिकों के इजाद में जुटी है। भारत समेत पूरी दुनिया बचाव के लिए टीका बनाने में जुटी है। हालांकि अब तक टीका उपलब्ध कराने का कोई समय सीमा नहीं मिला है। जब तक इस का लाइलाज वैश्विक महामारी का इलाज ढूंढ नहीं लिया जाता है, तब तक इससे बचने लिए WHO, ICMR, UNICEF या भारत सरकार के आयुष मंत्रलय द्वारा जारी सुक्षाव ही लोगों के लिए एक मात्र उपाय है।

कोरोना (कोविड–19) के पूर्व भी दुनिया को कई बार ऐसे महामारी का सामना करना पडा है। हाँ, 21 वीं सदी के लिए जरूर यह पहला और सबसे अधिक मारक क्षमता वाली वायरस साबित हो रहा है। इसकी कल्पना दुनिया के सभी देशो में संक्रमितों की संख्या और मौत से की जा सकती है। पूर्व के दिनों में स्पेनीश फ्लू, प्लेग, सार्स, बर्ड फ्लू समेत कई अन्य महामारी से दुनिया को सामना करना पड़ा है, लेकिन 21 वीं सदी में और अब तक की संक्रमण फैलाने वाली वायरस में यह सबसे अधिक मारक साबित हो रहा है। इसके प्रकोप से विकसित देशों रूस, इटली, स्पेन, समेत अन्य ताकतवर देशों को भी कोरोना के समक्ष घुटना टेकना पड़ गया है। इन देशों में भी अब लोगों को बचने के लिए दवा से अधिक सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई मास्क, गलव्स और सेनेटाइजर के साथ अब स्वछता का सहारा लेना पड़ रहा है।

कोरोना या कोविड–19 क्या है ?

कोराना एक वायरस है और किसी व्यक्ति में इस वायरस के संक्रमण लग जाने को कोरोना वायरस बीमारी कहते हैं। कोरोना वायरस बीमारी को ही COVID-19 कहा जाता है। इसमें कोरोना के अँग्रेजी शब्द CO और वायरस के अँग्रेजी शब्द से VI और बीमारी के अँग्रेजी शब्द D लेकर COVID बनाया गया है। चूँकि यह बीमारी वर्ष 2019 से शूरु हुई इसलिए इसे सुक्ष्म नाम COVID-19 दे दिया।

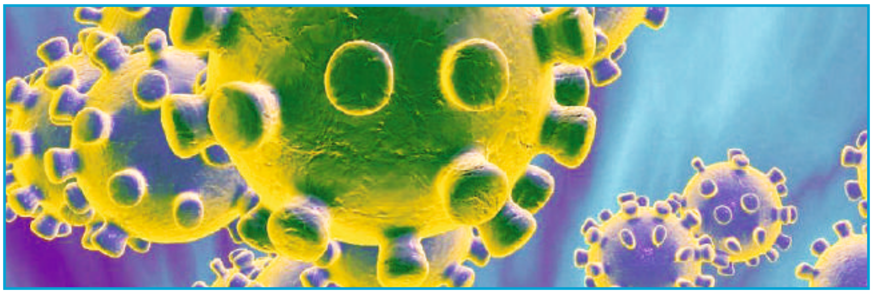

कोरोना वायरस (COV) का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसम्बर 2019 में चीन में हूबेई प्रांत के वुहान शहर में शुरु हुआ। डब्लू0एच0ओ0 (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है।

इसके संक्रमण के फलस्वरुप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खरांश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति के खाँसने या छींकने के दौरान नाक या मुँह से निकलने वाले पानी के छीटे से किसी भी प्रकार सम्पर्क में आने पर हीं यह वायरस दूसरे व्यक्तियों तक जाता है और नाक, मुँह व आँख के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। कोरोना वायरस

के पहले प्रकार की खोज 1960 के दशक में हो गयी थी, तब इसे ब्रांकाइटिस वायरस (Bronchitis Virus) कहा जाता था। यह वायरस तब मुर्गियों में मिला था, इसके बाद इसकी खतरनाक प्रजाति इंसानों के नाक और गले में पाया गया। इंसानों के नाक व गले में कोरोना वायरस के दो प्रकार मिले। इनका नाम है– ह्यूमन कोरोना वायरस 229 ई और ह्यूमन कोरोना वायरस ओसी 431। ये दोनों ही वायरस प्रजाति बेहद खतरनाक मानी गयी। यह सामान्य शुरू होकर निमोनिया तक का रुप ले लेती है।

कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरनाक रूप वर्ष 2003 में सामने आया तब इसे सार्स (SARS- CoV) कहा गया। SARS- COV जानवरों द्वारा उत्पन्न वायरस माना जाता है, क्योंकि यह एक जानवरों के झुंड से निकला वायरस था। इसमें अनुमान लगाया गया कि शायद चमगादड़ इसका श्रोत है, जो अन्य जानवरों जैसे मुर्गी या बिल्ली में भी फैलता है। इनसे मनुष्यों में भी संक्रमण फैल सकता है। इसका खतरनाक स्वरुप वर्ष 2003 में देखने को मिला। इस सार्स महामारी से दुनिया के 26 देश प्रभावित हुये थे। जिसमें 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुये थे और 774 लोगों की मौत हो गयी थी। वर्ष 2004 में कोरोना वायरस का नया रुप देखने को मिला। जिसे ह्यूमन कोरोना वायरस एनएल 63 (HCoV-NL63) नाम दिया गया। ये वायरस नीदरलैंड में सात माह के बच्चे में मिला था। इस वायरस के संक्रमण की जानकारी पूरी दुनिया से प्राप्त हुयी, लेकिन कितने लोग प्रभावित हुये और कितनी मौतें हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी।

वर्ष 2005 में कोरोना वायरस का फिर एक अलग रुप दिखाई दिया जिसका नाम वैज्ञानिकों ने ह्यूमन कोरोना वायरस एच.के.यू. 1 (HCoV-HKU1) दिया। इस वायरस से प्रभावित पहला 70 वर्षीय व्यक्ति चीन के शेनझेन का था। इस व्यक्ति को बाइलेटरल निमोनिया हुआ था। इस वायरस का प्रकोप आस्ट्रेलिया में भी हुआ और वहाँ भी कुछ लोग बीमार हुए।

वर्ष 2012 में कोरोना वायरस मध्य पूर्व ऐशिया में फैला और सऊदी अरब में सबसे पहले इसकी पहचान हुई। इसे वहाँ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस (MERS-CoV) नाम दिया गया। वर्ष 2015 में यह वायरस पुनः संक्रमण फैलाया। इसमें सऊदी अरब, मिस्र यूएई, कतर, जोर्डन, ओमान, तुर्की, कुवैत, अल्जीरिया, बांग्लादेश, आस्ट्रिया यूके, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन और इन्डोनेशिया जैसे देश प्रभावित हुये। 168 लोगों के बीमार होने की खबर आयी और 38 लोगों की मौत भी हुई। इसलिए कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। दिसम्बर, 2019 में चीन के हूबेई प्रांत के वुहान शहर में सर्व प्रथम इसकी जानकारी प्राप्त हुई। कोरोना वायरस जूनोटिक (zoonotic) वायरस का एक बड़ा परिवार है। यह सामान्य सर्दी–जुकाम से गंभीर श्वसन रोगों तक का कारण बनती है। जूनोटिक का अर्थ है कि ये वायरस जानवरों से मनुष्यों में संचरित होने में सक्षम हैं। ऐसे कई

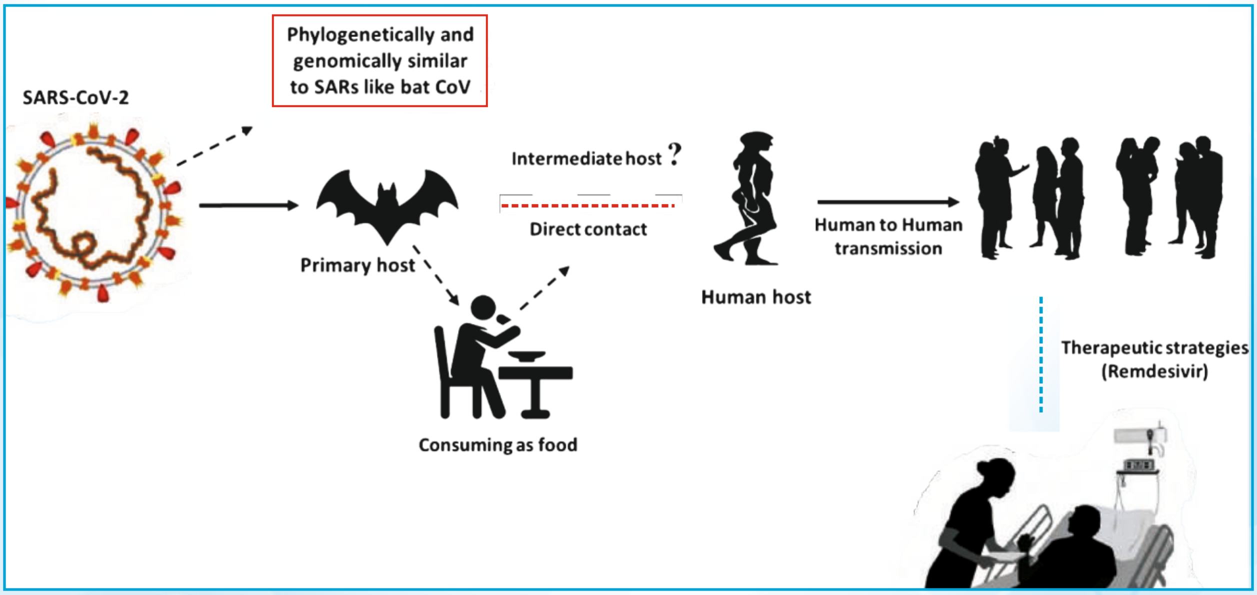

कोरोना वायरस विभिन्न जानवरों की आबादी में पल रहे हैं। जो अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं किये हैं। कोरोना सबसे नया वायरस है जो मानव को संक्रमित किया है।

कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण

कोरोना वायरस बीमारी या COVID-19 संक्रमण के सामान्य संकेत आम सर्दी–जुकाम के समान है। इसमें सांस संबंधी लक्षण जैसे सुखी खाँसी, बुखार, सांस की तकलीफ या सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अधिक गंभीर मामलों में, संक्रमण से निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और मृत्यु तक हो सकती है।

COVID-19 संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित लोगों की श्वसन प्रणाली से उत्पन्न बूंदों (droplet) के माध्यम से फैलता है, अक्सर खांसी या छींकने के दौरान ये बूंदे बाहर निकलती हैं और नजदीक के किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से उसे संक्रमित करती है। इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस उसके फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस कारण सबसे पहले बुखार, उसके बाद सूखी खांसी आती है, जुकाम हो सकता है, गले में खरास शुरु हो सकती है, बाद में सांस लेने में समस्या हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू0एच0ओ0) के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने में 14 दिनों तक का समय लग सकता है। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह समय 24 दिनों तक का भी हो सकता है। बीमारी के शुरुआती लक्षण सर्दी– जुकाम या फ्लू जैसे ही होते है, जिससे कोई आसानी से भ्रमित हो सकता है।

अभी तक के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह वायरस संक्रमित लोगों से ही एक दूसरे में फैल सकता है। इसलिए ज्यादा संभावना बनती है कि जो व्यक्ति पिछले एक दो माह के अंदर किसी कोरोना वायरस संक्रमित देश की यात्रा कर लौटे हों उनमें संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही जो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आये हों या जो भारत में ही उन जगहों की यात्रा की हो जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग पाये गये हैं। परिवार के उन करीबी सदस्यों को जिनके घर के सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये हों या कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति जहां–जहां यात्रा की और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आये हों।

ऐसे फैलता है सक्रमण :

- जब कोई संक्रमित व्यक्ति खाँसता है या छींकता है तो उसके नाक या मुंह से पानी की बहुत छोटी–छोटी बूंदे निकलती हैं और यह इतनी हल्की होती हैं कि तीन–चार या पाँच फिट की दूरी तक हवा में उड़ कर जा सकती है।
- जब यह बूंदे किसी व्यक्ति के हाथों में लगती है तो उस व्यक्ति के हाथ से उसके नाक, मुंह या आँख छुने पर वायरस उसके शरीर में प्रवेश करता है।
- संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खाँसने या छींकने से निकली बूंदें किसी सतह पर पड़ती हैं और उसको कोई व्यक्ति छू लेता है और उससे भी वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है।
- अर्थात यह निष्कर्ष है कि संक्रमित व्यक्ति के नाक या मुंह से निकाला हुआ पानी किसी भी तरह यदि स्वस्थ्य व्यक्ति के नाक, मुंह या आँख के संपर्क में आता है तो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है।

संक्रमण से बचाव के उपाय :

कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो भीड़–भाड़ वाली जगह पर कदापि न जायें, यदि आवश्यक हुआ तो मुंह व नाक को मास्क, रूमाल या गमछा से ढ़क कर ही बाहर जायें। आवश्यक नहीं हो तो घर में ही रहें। जब भी बाहर से घर में आयें तो अपने हाथों की अच्छी तरह साबुन–पानी से लगभग 20 सेकेंड तक साफ करें। हाथों से अपना चेहरा, नाक और आँख बार–बार नहीं छूएं। इससे संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। खाँसते या छींकते समय अपनी नाक व मुंह को अपने हाथ की केहुनी में ढंक कर ही खाँसे या छींके, इस तरह आप संक्रमण को

फैलने से रोक सकते हैं। जब भी किसी से बात करें तो उससे दो गज या छः–सात फीट से अधिक की दूरी बनाकर रखें।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घर में रहना आवश्यक है। इसमें भी 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चों एवं 60–65 वर्ष से ऊपर के लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना आवश्यक है। परंतु ऐसा नहीं है कि घर में हीं एक जगह स्थायी रूप से बैठ जायें या विस्तर पर पड़े रहें। समय–समय पर व्यायाम व योग आदि जो संभव हो करें। इससे शरीर का प्रतिरोधी तंत्र मजबूत होता है। संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है। जब भी खांसी या छींक आए तो टिश्यू पेपर या रूमाल या अपने केहुनी को मोड़ कर नाक व मुंह ढक कर खाँसे या छींके, जिससे आप के अंदर का तरल द्रव्य किसी के ऊपर न जा सके। अपनी रूमाल को बार–बार अच्छी तरह से साफ रखें। यह व्यवहार हमेशा अपनाना चाहिये। चाहे कोई स्वस्थ्य व्यक्ति हो या किसी भी तरह की बीमारी से संक्रमित हो। खुले में यहाँ–वहाँ नहीं थूकें, खाँसी के समय बलगम आने जहाँ पर भी थूकें उसे राख या मिट्‌टी से ढक दें। यदि आवश्यक न हो तो बाजार या बाहर घूमने न जायें, इससे आप स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा में सहायक बनेंगे। किसी से बात करते समय उससे दूरी बनाकर ही बात करें, छू कर बात नहीं करें।

आप अन्य लोगों के साथ संपर्क को कम कर संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। अनावश्यक किसी सार्वजनिक स्थान पर न जायें। सामाजिक समारोहों में जाने से बचें, खाततौर पर उन जगहों पर जहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ हो। इन बातों का ध्यान रखकर आप भी सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) को अमल में ला सकते हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण का कालक्रम 31 मार्च 2020 तक की वैश्विक स्थिति (स्रोत स्वास्थ्य मंत्रालय)

स्थान	कुल मामले	स्वास्थ हुए	मौत
भारत	1,251	101	32
विश्व	7,64,866	1,60,148	36,865
अमेरिका	1,52,631	5,211	2,817
चीन	81,470	75,700	3,304
भारत के राज्यों का हाल			
	राज्य	**संक्रमित मामले**	**मौतें**
1.	गुजरात	70	06
2.	उत्तर प्रदेश	96	00
3.	बिहार	15	01
4.	महाराष्ट्र	218	08
5.	दिल्ली	97	02

कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए आयुष मंत्रालय का सुझाव :– आयुष मंत्रालय द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए व स्व–देखभाल के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों जारी किया है :– (श्वसन तंत्र के विशेष संदर्भ के साथ स्वास्थ्य के उपाय और स्वास्थ्य प्रतिरक्षा में वृद्धि के यह उपाय आयुर्वेदिक साहित्य और वैज्ञानिक प्रकाशनों द्वारा समर्थित हैं।)

सामान्य उपाय

1. पूरे दिन गर्म पानी पियें।
2. आयुष मंत्रालय के सलाह के अनुसार कम से कम 30 मिनट तक योगासन, प्राणायाम और ध्यान का दैनिक अभ्यास करें।

3. मसाले जैसे हल्दी,जीरा, धनिया और खाना पकाने में लहसून का प्रयोग करें।

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय :–

1. सुबह च्यवनप्राश 10 ग्राम (एक चम्मच) लें। मधुमेह या सूगर के रोगियों को बिना चीनी वाला च्यवनप्राश सेवन करना चाहिए।
2. तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी (सूखी अदरक) और किशमिश, मुनक्का से बनी हर्बल चाय या काढ़ा दिन में एक बार या दो बार पीयें। इसमें गुड़ या नीबू का रस स्वाद के अनुसार मिला लें।
3. 150 मिली गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में एक या दो बार पियें।

सरल आयुर्वेदिक प्रक्रियाएं

1. सुबह–शाम दोनों नाक में तिल का तेल–नारियल का तेल या घी लगायें।
2. एक चम्मच तिल या नारियल का तेल मुंह में लें, तेल को पीना नहीं है, दो से तीन मिनट के लिए मुंह में घुमायें और इसके बाद इसे थूक दें। गर्म पानी से कुल्ला कर लें। यह प्रक्रिया दिन में एक या दो बार किया जा सकता है।

सुखी खाँसी व गले में खरांश के दौरान

1. ताजे पुदीना के पत्ते या अजवाईन (कैरवे के बीज) को पानी में उबाल कर भाप की साँस लें। इसका दिन में एक बार अभ्यास किया जा सकता है।
2. खाँसी या गले में जलन के मामले में लौंग पाउडर को गुड़, शहद के साथ मिलाकर एक दिन में दो–तीन बार ले सकते हैं।
3. यह उपाय आम तौर पर सामान्य सुखी खाँसी और गले में खरांश को दूर करता है। यदि यह समस्या बना रहे तो डॉक्टरों से सलाह लेना सर्वोत्तम उपाय है।

आपदा प्रबंधन टीम का यहीं संकल्प,
राहत पहुँचाना सही विकल्प।

मास्क को अपनी ढाल बनाओ,
कोरोना को हर दिन हराओ।

जैविक आपदा (करोना वायरस) से बचाव में राज्य आपदा मोचन बल (एस0 डी0 आर0 एफ0)

कृष्ण कुमार झा
(द्वितीय कमान अधिकारी),
एस0 डी0 आर0 एफ0 बिहार

भारत में कोविड–19 (कोरोना वायरस) का प्रथम मामला केरल में 30 जनवरी 2020 को उजागर हुआ। चीन में संक्रमण की भयावहता और भविष्य में सम्पूर्ण भारत को लॉकडाउन में फंसे होने की विभिषिका को भाँप कर एस0डी0आर0एफ0 बिहार ने फरवरी माह में ही कार्मिकों को इस जैविक आपदा से निपटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। आने वाले समय में जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण से बचाव और रोकथाम के कार्यों पर विचार कर एस0डी0आर0एफ0 को दिये जाने वाले कार्यों के लिए रिस्पोंस योजना बनाना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते है कि जैविक आपदा में संक्रमण के बचाव कार्य में कार्मिकों अपने सुरक्षा हेतु खास सुरक्षा पोशाक (पॉली–प्रोपिलीन सूट, फेस मास्क, ग्लव्स, जूता कवर, हेड कवर तथा आँख का बचाव कवर) की जरूरत होती है। पॉली–प्रोपिलीन सूट बिहार के बाजार में उपलब्ध नहीं था। साथ ही संक्रमित क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने के लिए टीमों को ब्लीच रसायन उपलब्ध कराना, छिड़काव करने की मशीन, हाथ के प्रयोग हेतु सेनीटाइजर, साबुन आदि का क्रय आपदा पूर्व तैयारी के रूप में फरवरी माह में ही कर लिया गया। इस प्रकार हम इस वैश्विक जैविक आपदा में निपटने की तैयारी पूरी की।

जैविक आपदा के विषय पर प्रशिक्षण :

पूरी तैयारी के उपरांत एस0डी0आर0एफ0 ने कार्मिकों के जैविक आपदा में बचाव कार्य के लिए एन0डी0आर0एफ0 के चिकित्सक के द्वारा जैविक आपदा कोरोना के प्रकोप के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया। एस0डी0आर0एफ0 के कार्मिकों को इस आपदा के समय, संक्रमित व्यक्ति के लक्षण को पहचानना, बचाव दल के कार्य और उसमें सावधानियाँ, जैविक आपदा के समय संक्रमित व संदिग्ध व्यक्ति के बचाव कार्य करते समय अपनी सुरक्षा व सतर्कता तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार मतृक के शरीर का निष्पादन जैसे विषयों पर आवश्यक प्रशिक्षिण प्रदान किया गया। एस0डी0आर0एफ0 के कार्मिकों को आवश्यक जानकारी, WHO और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर आधारित लिफ्लेट, पंपलेट ओर विडियों फिल्म के द्वारा भी दी गयी। विभित्र जिलों में स्थित कार्मिकों को एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय से प्रशिक्षकों की टीम को भेजकर जिलों में ही प्रशिक्षित किया गया। इसी क्रम में कई जिलों में जिला पुलिस व अन्य विभागों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया गया।

जिला प्रशासन के द्वारा एस0डी0आर0एफ0 को सौंपी गयी जिम्मेवारी :

जिला प्रशासन द्वारा विभित्र जिलों में तैनात एस0डी0आर0एफ0 टीमों को जिलों के कोरोना के संक्रमण और प्रभाव के अनुसार कई अलग–अलग तरह के कार्य सम्पन्न करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी।

- समुदाय को कोरोना वायरस के प्रभाव और बचाव के तरीके की जानकारी देना।

- विभिन्न सरकारी बचाव दलों के विभागों के कर्मियों को PPE कीट की जानकारी और संक्रमित व संदिग्ध के साथ बरती जाने वाली सावधानियाँ।
- लॉकडाउन के समय "सोशल डिस्टेन्स" का पालन करने और जिला प्रशासन के अन्य स्थानीय आदेश की जानकारी समुदाय को देना।
- संक्रमित व परिलक्षित संदिग्ध के घर जाकर उस अस्पताल तक सुरक्षित ले जाना।
- संक्रमित के परिवार को क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाना।
- वायरस से संक्रमित गाँव, घर, मस्जिद और अन्य इलाकों की स्प्रे कर विषाणु मुक्त (Decontaminate) करने ।
- मृतक के शरीर को परिवार को सौंपने वक्त दाह–संस्कार में जिला प्रशासन की मदद करना।

शुरू के दिनों में कई जिले में कोरोना के केस आने के बाद यह ज्ञात हुआ की स्वस्थ्य विभाग या अन्य सहयोगी विभागों में PPE किट (खास कर पॉली प्रोपलीन सूट) के अनुपलबद्धता के कारण कोरोना वारीयर के संक्रमित होने का खतरा अधिक है। इस कठिनाई को देखते हुये कुछ जिले में जिला प्रशासन के द्वारा पॉली प्रोपलीन सूट एस0डी0आर0एफ0 से ले कर अन्य कोरोना वारियार को दिलवाया गया। ससमय सोडियम हाइपोक्लोराइट (Sodium Hypochlorite) और ब्लीचिंग पाउडर आदि के साथ स्प्रे मशीन क्रय कर एस0डी0आर0एफ0 को जिलों में पहुंचाना केवल जवानों का मनोवल ही नहीं बढ़ा, बल्कि जिला प्रशासन के लिए भी आत्मविश्वास की भावना को बलवती किया।

एस0डी0आर0एफ0 कार्मिकों को बेगूसराय के मस्जिद को विषाणु मुक्त (Decontaminate) करते हुये।

चुनौतियाँ :

जैविक आपदा जैसे गंभीर विषय पर एस0डी0आर0एफ0 के कार्मिकों को कोरोना वारियार के रूप में प्रथम कतार में कार्य (Response) करना सचमुच चुनौती भरा रहा है। परन्तु बार–बार वस्तु पर के प्रशिक्षण तथा पीपीई की समय पर उपलबद्धता कार्मिकों को आत्मविश्वास को बढ़ाया। संक्रमण से अपने को बचाते हुये प्रशासन के उम्मीदों पर खरा उतरना अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अभी तक एस0डी0आर0एफ0 ने इस कार्य को बखूबी निभाया। उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीने एस0डी0आर0एफ0 के लिए यह चुनौतीपूर्ण होंगें। एस0डी0आर0एफ0 कार्मिकों को अपने लगन व मेहनत से अपनी सार्थकता साबित करते हुये राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाहन करते रहना है।

Fire risk in India : emerging challenges

Paras Nath Rai,

Member, Bihar State Disaster Management Authority
Former Director General of Police Fire Services, Bihar

Shri P. N. Rai, IPS (Rtd.)
Member, BSDMA

Even though fire is a major disaster, fire safety has remained in the background. This may be seen in the context of changing profile of fire risk wherein we are confronted with new and more difficult challenges. Further, while there is a paradigm shift of disaster management in India from relief centric to preparedness, prevention & mitigation, fire safety remains response driven to say the least fire fighting. Therefore, there is very limited focus on fire engineering and other risk management issues such as audit, awareness, capacity building & technology application. There is more focus on fighting rather than fire risk management. Here attempt is made to discuss existing and future risks that the urban and rural areas are likely to face in coming years and what needs to be done.

- **Risk everywhere**

  Fire is one of the disasters that happens without fail. It is mostly manmade and hence can be prevented, its effects largely mitigated with preparedness. It is present in urban areas primarily due to electrical faults. However, it is getting prominence in upcoming townships and the fast expanding existing cities. People moving to cities mostly create habitations in the peri urban areas. The big apartments are also coming up in those areas specially in the bigger cities. The developments in those areas rarely include establishment of fire stations. Unfortunately, most of the new settlements in those peri urban areas are poorly governed in respect of safety norms. Thus the peri urban areas are going to be greater risk challenge. Fire is a major risk to industry and business including IT. **No wonder they maintain robust fire fighting systems.** FICCI-Pinkerton, India Risk Survey 2018, ranks fire as third major risk.

While fire services and related agencies are trying to cope with the existing challenges, a large number of new and more difficult areas of risk-due to climate change and technological advancements and prosperity in general **have emerged which are likely to make things difficult for fire management agencies. Some of them flow from rapid development and technological advancements.**

Here attempt is being made to discuss a few of them.

- **Urbanization : growth of peri urban areas**

Rapid urbanization in Bihar and the country and that too unplanned has increased fire risk in urban & semi-urban areas as there is less of regulation in new areas. As it is the unplanned urbanization is fearful in respect of others disasters too. This compounds the existing fire risk already existing in cities. The densely populated old parts of cities are extremely vulnerable posed very big challenge to fire management. First, these lanes are highly populated making it high risk for human casualty. In case of fire, the narrow and congested lanes make it difficult for fire tenders and medical help to support. And now the unhindered and unplanned growth of peri urban habitations with least of regulations have thrown up additional challenge.

- **Climate change factors: more fire risk**

Now we are witnessing whole lot of disasters due to climate change and extreme weather. It is accepted now that climate change will alter the severity, frequency and complexity of climate related hazards.

Global warming and consequent rising temperature have adversely affected fire safety too. In urban areas, heat islands are being created due to concretization and unplanned urbanization. Disappearing water bodies due to encroachment by residences, construction of roads/buildings, has made things worse. Increasing temperatures force people to use ACs for longer duration and, of course, the increasing prosperity helped the people lead more luxurious lives which include ACs in cars/offices/residences. The increasing use of AC has again contributed significantly to the heat island syndrome in cities. As the load on electrical system increases, there is big threat to the electrical system and fire services have witnessed large number of short circuits due to melting of wires etc.

In rural areas too, climatic changes are playing havoc with temporary hutments called slums, standing crops and harvested crops. The high temperature combined with dry winds in May & June and disappearing water bodies have caused large number of fires in village farms and *khalihans* of harvested crops, resulting in big losses to the farmers. Acres and acres of standing crops are destroyed every year. Of late, we have had quite a few instances of vehicle fire in summer, the heated roads, car ACs and high speed on roads are causing fires, if the air pressures in tyres are not appropriate.

- **New challenges: affordable housing and household LPG**

The society is at great risk as it is mentioned earlier. The unfortunate part is that there are certain risk elements which are likely to exaggerate risk to fire safety. Some of them are being discussed here. The Central Government drive to provide affordable housing to weaker section is a novel initiative. However, such high density houses with presence of all kinds of electrical equipments in a small area will create greater risk for the inmates, provided the safety norms are not taken care of.

Another flagship program of providing gas cylinder to poor is a great program to alleviate health hazards and environmental damage. But again, the presence of gas cylinders in slum areas which are on their own vulnerable, increases the risk. The petroleum companies that were supposed to do the capacity building of those using such cylinders needs to take up the challenge. Fire services too need to increase its presence.

- **Rural Electrification**

Fire risk will now be a major concern in villages too. States including our own Bihar are sincerely engaged in reaching electricity to village households. Understandably, energy consumption with increase when the villagers may install various luxury equipments, including ACs in coming days. Given the fact that they do not have the capacity to understand electrical load etc and also the phenomenon of sub-standard electrical equipments, electrical short circuits related fires in villages may increase in days to come. This will be a serious concern for everyone mainly because reach of fire service is not as widespread as required.

- **Petrol pumps in populated areas**

There are large numbers of petrol pumps, gas filling stations that were installed many years ago when the area had no or less population. They now are great risk to urban populations. However, with expanding cities, these petrol pumps are now surrounded by high density population including commercial installations. This is a fearful scenario. Any mishap in such petrol pumps would cause tremendous damage including loss of life. In 2016, when fire broke out in Maurya Complex shopping mall in Patna the fire service had great difficulty in protecting a petrol filling station next to the building because the flames and the splinters from the fire were reaching the petrol pump also. Similar scenario presented by the presence of explosives, LPG stores in populated areas. There is urgent need to shift such petrol pumps to safer places apart from strengthening their safety.

- **New areas of risk: development related Mass transportation**

  Modernisation of cities has included mass transportation systems of which metro rail . Most of it underground. Hence Metro Tunnels fire is a real challenge that all the fire services and the metro rail authorities need to take care of. Electric cars. The world is in process of switching to electric cars. They ned charging stations at homes, offices and other places. This presents new set of challenge for fire safety.

Traffic congestion is a quite dangerous risk affecting fire fighting operations adversely. The manifold growth in number of vehicles plying on the already crowded roads making things worse. This is going to worsen in future.

- **Capacity of fire services and community**

There has been tremendous amount of technological innovations in fire safety. However not much is being used by the fire services and others. Same is the case with the consumers. Some of the technology could be the self illuminating energy sign, home fire sprinkler, smoke & fire alarm and water supply system. There has been development in micro electronics and sensors to improve home alarm system. Even though sprinkler system reduces the risk of life, still most homes are not equipped with automatic sprinkler systems which are seen in hotel and business houses.

The capacity of fire services to address disaster risk reduction is very limited. Hence capacity building needs to be specifically designed for existing and emerging challenges as mentioned above. The capacity to audit risk needs to be strengthened, network of fire stations needs to be expanded and community-level awareness should be given top priority.

- **Fire safety – Demand driven Vs supply driven**

Fire safety today is more supply driven than demand driven because there is huge deficit of knowledge of prevailing regulations including Nation Building Code, State/Municipal/ regulations/bylaws and fire safety rule among department/ agencies responsible for giving approval for construction of building and later their implementation. Builders/ architect/engineers are equally unaware as a result the people get what is built by them. Unfortunately, the users, the people are also unaware of the safety.

The result is everyday new fire risks are introduced into our life e.g. new furnishing, leaking transformers, electrical appliances increasing the fire risk. While more importance is given to the interior decorations and beautification of the house, the consumer is almost unaware of the level of fire risk in each of the material used. This needs to change with fire safety becoming more demand-driven with a more alert and aware consumer who is aware of safety norms, building codes, material used etc.

With fire safety being more supply-driven, the onus of fire management largely lies on the government agencies. But, often, the fire management agencies do not have enough capacity for approval or enforcement of basic fire safety norms. Also, once the approvals are issued, there are no further audits to ensure proper maintenance of fire safety measures exacerbating the risk more.

Conclusion. While fire remains a potent disaster risk in urban areas, it may not remain so as urbanisation in unplanned way has ensured its spread to peri urban areas. Climate change has spread the risk to villages too. Big challenge for all players is to take note of the new challenges such as group housing, underground urban mass transportation etc. Finally there is urgent need to work towards preventive fire management rather than only fire fighting. This would require a paradigm change in mindset of everyone related to fire safety. Only then there could be sustainable arrangement for fire safety.

जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना

डॉ0 सतेन्द्र, भा0व0से0 (से0नि0)

भारत अपनी भू–भौतिकीय एवं सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न आपदाओं के प्रति संवदेनशील हैं। प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों से उत्पन्न आपदा देश में जन–मानस एवं संपत्ति के साथ–साथ पर्यावरण तथा जीव–जन्तुओं को अपार क्षति पहुँचाती है। वन्य प्राणी जो हमारी प्राकृतिक धरोहरों को अमूल्य अंग है, आपदाओं से अछूते नहीं हैं। जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले प्राणियों की तुलना में देश के लगभग 150 से अधिक जैविक उद्यानों में वन्य प्राणी अपनी विशेष परिस्थिति के कारण आपदाओं के प्रति अधिक संवदेनशील होते हैं, क्योंकि अन्य जन्तुओं जैसे पालतु पशुओं एवं वन्य प्राणियों की तरह आपदा के समय उनको सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण की स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार आपदा के समय पिंजड़ों एवं बाडों में बंद चिड़ियाघरों के प्राणियों को आपदा के प्रति खतरा कई गुणा अधिक बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में इन निरीह प्राणियों को आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता होती है।

आपदाओं के प्रत्यक्ष प्रभाव के अतिरिक्त चिड़ियाघर के प्राणियों को आपदाओं के कारण खाद्य आपूर्ति एवं अन्य जीवन सहायक प्रणालियों में बाधा उत्पन्न होने के कारण कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल कोविड –19 वायरस के कारण उत्पन्न महामारी की वजह से प्राणी उद्यानों में रखे गये प्राणियों को खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा व्यवस्था, साफ–सफाई इत्यादि से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सबसे निबटने के लिए प्रशासन को आनन–फानन में विशेष व्यवस्था करनी पड़ी।

प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से उत्पन्न आपदाओं यथा बाढ़, अग्निकांड, भू–स्खलन, भूकम्प, चक्रवात इत्यादि आम आपदाओं के अतिरिक्त जैविक उद्यानों को उद्यान से संबंधित कुछ विशेष आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जिन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है –

Hazards

Zoo specific Hazards

- Animal Escape & Attack
- Rodent or Pest Attack
- Strikes in the zoo, Law and Order,
- Bomb or terror threat, civil strife including-rioting & curfew etc ;
- Dislocation of essential supplies
- Civil-disobedience ;
- Jumping or entering cage,
- Engineering failure, Vehicular & / or machinery accident, Poisoning etc.

Health emergencies : Anthrax, Clostridialinfections, Leptospirosis, Paratuberculosis, Pasteurellosis, Plague, Spaphylococcosis, Salmonellosis, Tuberculosis, Shigellosis etc.

Common Hazards

Natural - Flood, Earthquake, Cyclonic Storms, Cold and heat waves, Land Slides, Avalanches, Tsunami, Lightning, Hailstorm, Drought. Avalanches, Sever weather conditions.

Man induced - Fire, Major Accidents, Gas Leakage, Nuclear Radiation, Accidents, Dangerous chemicals & / or residues etc.

जैविक उद्यानों की आपदा प्रबंधन योजना का महत्त्व आज के बदलते परिवेश में जहां प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न आपदाओं के साथ नये प्रकार की आपदाओं का खतरा उत्पन्न हो गया है। यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जैविक उद्यान एवं उनमें रहने वाले दुलर्भ वन्य प्राणियों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराये, ताकि आपदाओं से उत्पन्न खतरों को कम किया जा सके। एक संपूर्ण एवं विस्तृत जैविक उद्यान की आपदा प्रबंधन योजनाओं में प्रत्युत्तर के साथ–साथ आपदाओं की रोकथाम, शमन (Mitigation) एवं तैयारी पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार विभिन्न हितधारकों के सहयोग से तैयार आपदा प्रबंधन योजना को तैयार कर उसका मॉकड्रिल के माध्यम से अभ्यास करना भी जैविक उद्यान के प्राणियों की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है।

जैविक उद्यान की आपदा प्रबंधन योजना का स्वरूप एवं निर्माण

जैविक उद्यान का प्रशासन उद्यान की भूमिका निर्वाह करता है। जैविक उद्यान के निदेशक, उप निदेशक, रेंज अधिकारी, गार्ड, पशु चिकित्सक एवं अन्य अधिकारियों की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेष भूमिका होती है।

जैविक उद्यान प्रशासन के साथ–साथ जिला नगर प्रशासन, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, फायर बिग्रेड, पशु चिकित्सालय, स्वैच्छिक संस्थाऐं इत्यादि का सहयोग भी जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने में लिया जाना अपरिहार्य है।

एक प्रभावी जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सर्वप्रथम जैविक उद्यान एवं उसमें विद्यमान प्राणियों के भविष्य में होने वाले खतरों की पहचान करना आवश्यक है। उद्यान के पास उपलब्ध संसाधनों (मानव एवं भौतिक दानों) जिन्हें आपदा प्रत्युत्तर के लिए उपयोग किया जा सके। इस प्रकार के संसाधनों की क्षमता का आकलन भी आपदा प्रबंधन योजना का महत्वपूर्ण अंग होता है। आपदा से पूर्व आपदाओं की रोकथाम, शमन एवं तैयारियों को विस्तृत रूप से पहचान कर उनके लिए जिम्मेदारियां तय करना योजना की सफलता का पैमाना निश्चित करना है। आपदा के समय ससमय प्रभावी प्रत्युतर योजना का एक विस्तृत ढांचा तैयार कर उसका समय–समय मॉकड्रिल द्वारा अभ्यास किया जाए तथा मॉकड्रिल के समय पाये जाने वाले कमियों को सुधार कर एक कारगर एवं विस्तृत योजना तैयार की जाय। आपदा के पश्चात होने वाली क्षति का आकलन एवं उसकी रिकवरी के लिए एक विस्तृत योजना भी जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना के अभिन्न अंग है। योजना का क्रियान्वयन के लिए बजट एवं विभिन्न संसाधनों एवं उनके स्त्रोत का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सामान्य रूप से जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन में निम्नलिखित अवयवों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है –

1 जैविक उद्यान का प्रोफाईल
2 खतरा, जोखिम, भेदयता एवं क्षमता विश्लेषण
3 आपदा प्रबंधन के किए संस्थागत व्यवस्था
4 रोकथाम, शमन एवं तैयारी के उपाय तथा जिम्मेवारी
5 प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास
6 आपदा प्रत्युतर योजना
7 आपदा के पश्चात रिकवरी योजना
8 बजट एवं वित्तीय संसाधन
9 योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन तथा अद्यतीकरण

जैविक उद्यान आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने वक्त उक्त सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करते हुए योजना के निर्माण एवं उसका सही रूप से सभी हितधारकों को शामिल करते हुए क्रियान्वयन करने से हम अपनी अमूल्य वन्य प्राणी धरोहर को सुरक्षित रख सकते हैं।

आपदा फोटोग्राफी

शहनवाज अनवर
राजकीय छायाचित्र परीक्षक, राज्य फोटो ब्यूरो
अपराध अनुसंधान विभाग बिहार, पटना

कैमरा एक प्रकाशीय युक्ति है जिसकी सहायता से कोई स्थिर छवि (फोटोग्राफ) या चलचित्र (मूवी या वीडियो) खींचा जाता है। चलचित्र वस्तुतः किसी परिवर्त्तनशील या चलायमान वस्तु के बहुत छोटे समयान्तरालों पर खींची गई बहुत से छवियों (फोटो) का एक क्रमिक समूह होता है। दरअसल ''कैमरा'' लैटिन के कैमरा ऑब्स्क्योरा से आया है जिसका अर्थ अंधेरा कक्ष होता है। कैमरा युग के आरंभिक दौर में फोटो लेने के लिए एक पूरे कमरे का प्रयोग होता था, जो अंधकारमय होता था। कैमरा के बारे में सर्वप्रथम ईराकी वैज्ञानिक इब्न–अल–हजैन (1015–1021) ने बताया। इन्होने एक ऐसे यंत्र के बारे में जानकारी दी। जिससे प्रकाश की किरणों को एक अंधेरे कमरे में पहुँचाकर फोटो जैसी आकृति बनायी जाती थी, जिसे बाद में कैमरा कहा जाने लगा। इसके बाद **गियोवानी बटीस्ता** (Giovanni Battista) 1558, लुईस जेक्यूस मोंडे डेग्यूर जैस कई वैज्ञानिको ने अपने अपने शोध को बढ़ा कर कैमरा का अविष्कार किया।

Photography का शाब्दिक अर्थ ही इसके मूल को परिभाषित करता है। Photography दो शब्दों से मिलकर बना है **Photo + Graph.** Photo मतलब Light या प्रकाश और Graph का अर्थ है चित्र बनाना। इस प्रकार प्रकाश के माध्यम से चित्र बनाना फोटोग्राफी कहलाता है।

डिजिटल फोटोग्राफी

कैमरा के अविष्कार के बाद फोटो खींचने के लिए फिल्म रील का इस्तेमाल किया जाता था। फिल्म की निगेटिव से पॉजिटिव यानि फोटो तैयार किया जाता था। अब समय के साथ हर चीज जहाँ बदल गई है और आधुनिक हो गई वहीं कैमरा से फोटोग्राफी भी एक लम्बा सफर तय कर चुका है। Digital दुनिया में फोटोग्राफी भी डिजिटल हो गई है। डिजिटल फोटोग्राफी (Digital Photography) फोटोग्राफी का एक प्रकार है। यह एक नवीनतम तकनीक है। डिजिटल कैमरा में कोई रील डालने की आवश्यकता नहीं होती है। डिजिटल कैमरा (Digital Camera) में एक मेमोरी कार्ड लगा होता है। आप जितने भी फोटो कैमरा से खींचते है वह सब मेमोरी कार्ड में (Store) संग्रहित होता जाता है। फोटो को कैमरे के Screen पर सीधे देख सकते हैं। उसे मन चाहे रंग में एडिट या कांट–छांट भी कर सकते है।

फोटोग्राफी के प्रकार :

1. **प्राकृतिक आपदा फोटोग्राफी** (Natural Disaster Photography) – यह फोटोग्राफी प्रकृति का प्रकोप दिखाता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ों का गिरना, बाढ़ से क्षति, भूकंप, सूनामी, बादल का फटना, आँधी–तूफान, सूखा आदि।
2. **युद्ध फोटोग्राफी** (War Photography) – इसमें युद्ध की तस्वीर ली जाती है जैसे– बम–विस्फोट, तोप–टैंक, मौत का दृश्य, अस्पताल में पड़े घायल सैनिक, रोते मासूम, शहीद हो चुके सैनिक का शव, दो देशों के बीच का युद्ध आदि।
3. **फोटोग्राफी वन्य जीव** (Wildlife Photography) – यह फोटोग्राफी की एक चुनौतीपूर्ण शैली है, क्योंकि फोटोग्राफर को समय का बोध एवं सही शॉट के लिए धैर्य रखना पड़ता है। ताकि, जंगलों एवं रेगिस्तानों और पहाड़ो व झरनों में वन्य जीवों के फोटो लिये जा सके।
4. **प्राकृतिक फोटोग्राफी** (Natural Photography) – प्राकृतिक फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ पेड़ या पौधे शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमे प्राकृतिक दृश्य शामिल है जैसे भूस्खलन, पहाड़ियाँ, झरने, नदियाँ आदि।

क्या है आपदा फोटोग्राफी :

भारत की प्राकृतिक संरचना में पर्वतों, नदियों, समुद्रों आदि का बहुत महत्व है। इनसे असंख्य लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन जब प्रकृति में असंतुलन की स्थिति होती है, तब आपदायें आती है। इनके आने से प्रगति बाधित होती है और परिश्रम तथा यत्नपूर्वक किये गये विकास कार्य नष्ट हो जाते हैं। आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, बबंडर, भूकम्प, भूस्खलन, सुनामी, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, महामारी, समुद्री तुफान, गर्म हवाएँ और शीतलहर आदि। इन प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त कुछ मानवजनित आपदाएँ है जैसे साम्प्रादायिक देंगे, आतंकवाद, आगजनी, शरणार्थी समस्याएँ, वायु, रेल व सड़क दुर्घटनाएं आदि।

आपदा में फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चूँकि फोटोग्राफी के माध्यम से आपदा के बाद हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। फोटोग्राफी के बाद पुनर्निर्माण का खाका तैयार करने में मदद मिलती है। राहत सामग्री पहुँचाने के लिए रास्ता बनाने का काम फोटोग्राफी की मदद से ही तैयार किया जाता है। बाढ़, चक्रवाती तुफान, भुस्खलन, भुकम्प, आगजनी, बम.विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट आदि आपदा में घायल और मरने वाले व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने में फोटोग्राफी अति महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। ऐसे आपदाओं में पीड़ित व्यक्तियों की पहचान फोटोग्राफ के माध्यम से की जाती है। जिससे पीड़ित के सगे संबंधियों तक जानकारी पहुँचाने और सरकारी रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती हैं।

रेल दुर्घटना में फोटोग्राफी

रेल दुर्घटनाएँ प्रायः मनुष्य की गलती से, तोड़फोड़ से, या पहाड़ी रेल ट्रैक पर भू–स्खलन से या आग लगने के कारण होती है। रेल दुर्घटना में जान और सम्पति की बहुत हानि होती है। रेल दुर्घटना होने के बाद घटनास्थल की फोटोग्राफी में मरने वाले व्यक्ति की पहचान स्थापित कर चेहरे, हाथ, पैर, हाथ पर गोदना के निशान, शरीर पर कट चिन्ह, हाथ व पैर की अंगूलियों की अंगुठी, गले में चैन या माला की फोटो खीचीं जाती है। जिससे मरने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित किया जा सके। क्षतिग्रस्त ट्रेन का नम्बर सहित नेम प्लेट का फोटोग्राफ, क्षतिग्रस्त डिब्बे की संख्या और आरक्षित बोगी का सीट नम्बर सहित फोटोग्राफ्स लिये जाते हैं। इसके अलावा बम विस्फोट या गोली चलने की स्थिति में क्षतिग्रस्त बोगी के उस हिस्से का फोटोग्राफ्स लिया जाता है जहां पर गोली या विस्फोट के निशान हो। ध्यान रहे कि गोली लगने वाले हिस्से पर स्केल रखकर फोटोग्राफ करनी चाहिए। इसके अलावा रेल पटरी, दुर्घटना में क्षतिग्रस्त रेल डिब्बा, पहिये आदि की फोटो कैमरे में कैद की जाती है, जिससे रेल दुर्घना की कारणों के जाँच के लिए बनी जाँच समिति को फोटोग्राफ की सहायता से इस घटना की साजिश से परदा हटाने में मदद मिल सके।

आग लगने के बाद फोटोग्राफी

आग प्रायः विध्वंसकारी होती है जिसमें जीवन और सम्पति (जान और माल) दोनों की हानि होती है। प्रायः देखा गया है कि आग में मरने वालों की संख्या कभी–कभी–चक्रवात, भूकम्प, बाढ़ और दूसरी अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों की संख्या से भी अधिक होती है। शहरों में घर, झुग्गियों, इमारतों, विशेषकर गोदाम और फैक्ट्रीयां आग की चपेट में आते है। आग एक बड़े हिस्सों में फैल जाता है। बहुत से लोग जलने और दम घुटने के कारण मर जाते हैं। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए फोटोग्राफ लिये जाते है। फैक्ट्री या गोदाम में काफी संख्या में मजदूर काम करते है। आग लगने की स्थिति में इन जगहों पर भगदड़ मच जाती है। थोड़ी ही देर में आग पूरे परिसर में फैल जाता है। जिससे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। आग मे कुछ लोगों के शव आधे जले होते है तो कुछ शव राख बन जाते है। सिर्फ हड्डियाँ बचती है। हमें आधे जले हड्डियाँ समेत सभी का फोटोग्राफ लेना पड़ता है। इसके अलावा आग के राख में कुछ ऐसी चीजे हैं जो जल नहीं पाती है। जैसे हाथ के घड़ी, अंगूठी, गले के चेन, हाथ के कंगन आदि। इसलिए इन वस्तुओं का फोटोग्राफ जरूरी होता है। जिससे मरने वाले लोगों के बारे में पहचान हो सके। ध्यान रहे की इन चीजों की फोटोग्राफी क्लोजअप लेंस की सहायता से करनी चाहिए ताकि छोटे से छोटे चीज भी स्पष्ट रूप से पहचाने जा सके।

बाढ़ में फोटोग्राफी

नदियों में अचानक आये पानी या बारिश के दिनों में नदियों में धीरे–धीरे पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनती है। ऐसे हालात उत्पन्न होने पर सरकार हवाई सर्वेक्षण कराती है। हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान एरियल फोटोग्राफी का सहारा लिया जाता है। हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर से एरियल फोटोग्राफी की जाती है। एरियल फेाटोग्राफी देखकर ही बाढ़ आपदा में प्रभावित क्षेत्रों का सही आकलन किया जाता है, और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुँचायी जाती है। एरियल फोटोग्राफी के बाद जमीनी स्तर पर प्रभावित इलाको की फोटो ली जाती है। जिसमें तबाह हुए घर, मकान गोदाम, स्कूल, अस्पताल सहित सड़क व गली.मुहल्लों की फोटोग्राफी प्रमुख है। बाढ़ की फोटोग्राफी में हताहत हुए लोग जिनकी मौत हो चुकी है या बाढ़ में फंसे हुए है, उनका फोटोग्राफ महत्वपूर्ण होता है। यहाँ भी मरे हुए लोगों की पहचान स्थापित करने में चेहरे का फोटोग्राफ लिया जाता है।

आपदा फोटोग्राफी के प्रकार

1. **Indoor Photography -** आपदा के दौरान घर, मकान दुकान, गोदाम, ऑफिस में या अन्य ऐसी जगहों पर फोटोग्राफी की जाती है जहाँ सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर नहीं पहुँचकर आंशिक रूप से पहुँचता है। इसे इन्डोर फोटोग्राफी कहते है। यहाँ फोटोग्राफर अपने साथ अतिरिक्त लाईट की व्यवस्था करता है। जिससे अंधेरे स्थल की स्पष्ट फोटोग्राफ ले सके।

2. **Outdoor Photography -** ऐसे जगहों पर फोटोग्राफी किया जाय जहाँ सुर्य का प्रकाश सीधे आता हो। आपदा के समय इस तरह के स्थलों पर फोटोग्राफी करने में ध्यान रहे कि कैमरे के लैन्स पर सुर्य का प्रकाश सीधे नहीं आ रहा हो। लैन्स पर सीधे सुर्य का प्रकाश पड़ने की हालत में फोटो ज्यादा लाईट पाकर काला हो जायेगा। इससे फोटोग्राफ खराब हो आता है। अतः इससे बचना चाहिए।

3. **Full View Photography -** बाढ़, भूस्खलन, आग, बम.विस्फोट, सुनामी जैसे आपदाओं के बाद सर्वप्रथम सम्पूर्ण घटनास्थल की फोटोग्राफी करायी जाती है। जिसे Full view Photography कहते हैं। प्रभावित स्थल की शुरूआत से लेकर स्थल के अंत तक की फोटो लिये जाते हैं। जिसमे घटनास्थल की पहचान करते हुए फोटो से यह साबित किया जाता है कि यह घटना कहाँ की है।

4. **Half View Photography -** आपदा में मृत व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करना और परिजनों तक उसकी पूरी जानकारी पहुँचाने में फोटो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृत व्यक्तियों के चेहरे की फोटो खींची जाती है। अगर चेहरा क्षतिग्रस्त होने से पहचान स्थापित करना सुनिश्चित हो तो मृत के शरीर पर कट या अन्य चिन्ह जो हो उसकी फोटो करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप किसी की हाथ या पैर में पाँच अंगूली की जगह छः अंगूली हो तो यह उस व्यक्ति की पहचान पहले से स्थापित करता है। ऐसी परिस्थिति में चेहरा का फोटो नहीं रहने पर भी परिजन छः अंगुलियों से शव को पहचान सकते हैं। इसलिए मृत के शवों मे ऐसे पहचान वाले चिन्ह के फोटो अवश्य लेनी चाहिए।

5. **Clue Photography -** दर असल Clue Photography अपराधियों तक पहुँचने के लिए घटनास्थल पर करायी जाती है। आतंकवादी वारदात, बम विस्फोट, नक्सली हमला या अन्य आपराधिक घटना में इसकी जरूरत पड़ती है। आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कुछ न कुछ गलती जरूर करता है। वह घटनास्थल पर कुछ साक्ष्य छोड़ जाता है। जिससे पुलिस अपराधी तक पहुँच जाती है। अपराधियों द्वारा छोड़े गये ऐसे साक्ष्य ही ब्सनम कहलाता है। जिसकी फोटोग्राफी की जाती है। घटनास्थल पर अपराधियों के फिंगर प्रिन्ट पाये जा सकते हैं। इसके अलावा फुट प्रिन्ट मिलते हैं। क्लोजअप लैंस से फिंगर प्रिन्ट की फोटोग्राफी की जाती है। Clue Photography में आर्म्स, गोली का खोखा, चाकू, बम का टाईमर मशीन, जूता, चप्पल, रूमाल, मोबाईल, मोमोरी कार्ड, ट्रेन–बस, हवाई जहाज का टिकट, सहित अन्य समान होते हैं, जो घटनास्थल पर साक्ष्य के रूप में पाये जा सकते हैं। इन सभी की फोटोग्राफी अलग–अलग ऐंगल से करायी जाती है। जिससे इन फोटो के सहारे अनुसंधान को सही दिशा में बढ़ाकर अपरधियों तक पहुँचा जा सकता है।

उद्योगों में आपदा प्रबंधन : आवश्यकता एवं महत्व

डॉ0 जीवन कुमार
परियोजना पदाधिकारी, मानव जनित आपदा प्रभाग (बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)

देश को आत्मनिर्भर व गरीबी दूर करने के लिए पेट्रो–रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन (उर्वरक, कीटनाशक) औद्योगिक रसायन आदि उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। इस अवधि के औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गयी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योगों का विकास उस समय की महती आवश्यकता थी। विकास के इस क्रम में उद्योगों में खतरों एवं जोखिम की पहचान नहीं होने एवं अन्य आवश्यक तैयारियां न होने से उद्योगों में दुर्घटनाएँ होती रही है। वर्ष 1984 में यूनियन कार्बाइड उद्योग, मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जैसी बड़ी घटनाएं हुई। इस घटना में व्यापक जन–धन की क्षति हुई। देश की अन्य प्रमुख औद्योगिक घटनाओं में वर्ष 2003 में आंध्र प्रदेश के एक तेल कुएं में आग लगना एवं 1997 में विशाखापट्टनम के हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन आदि प्रमुख हैं।

अविभाजित बिहार में वर्ष 1975 के दिसम्बर माह में धनबाद के चासनाला कोयला खदान में धमाका से 375 श्रमिक मारे गए थे। 2016 में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना स्थित एक प्राकृतिक दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। इन घटनाओं की ही तरह समय–समय पर देश एवं राज्य के उद्यागों में छोटी–बड़ी घटनाएँ होती रहती है। इसका सर्वाधिक खामियाजा इसमें काम करने वालों के साथ–साथ आमलोगों को भुगतना पड़ता है।

साभार : एक्सप्रेसफार्मा.इन

<u>औद्योगिक आपदाओं के कारण :</u>

औद्योगिक आपदाएं तकनीकी, रासायनिक, यांत्रिक, विद्युत या अन्य प्रक्रियाओं की विफलता के कारण या मानवीय भूल, लापरवाही, अक्षमता आदि कारणों से होती है। ये आपदाएं परिवहन, प्रसंस्करण, उत्पादन, निर्माण, भंडारण, उद्योगों के अपशिष्ट निपटारा के दौरान हो सकती है। आमतौर पर explosions, fires, spills, leaks, waste release आदि के रूप में सामने आती है।

हालांकि ऐसी दुर्घटनाएं यदा–कदा ही घटती है परंतु इनमें होने वाली जान–माल की क्षति, पर्यावरणीय प्रभाव एवं सामाजिक–आर्थिक प्रभाव काफी बड़े स्तर पर होते हैं। इन दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के

लिए देश एवं राज्य के स्तर पर समय–समय पर पहल होती रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–30) में उद्योगों में होने वाली आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंधन विषय को भी समाहित किया गया है। इस रोडमैप में "सुरक्षित बुनियादी संरचनाओं" के लिए निम्नलिखित प्रमुख विशिष्ट कार्यों (Specific Actions) को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

- खतरनाक उद्योगों के लिए सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों को विकसित करना।
- उद्योगों में बुनियादी संरचनाओं की पुनः कार्यशीलता एवं बैकअप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से infrastructure continuity plan विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- मौजूदा खतरनाक उद्योगों, संबंधित बुनियादी ढाचों, मानव संसाधनों और प्रणालियों की मैपिंग करना है। इसके तहत इन उद्योगों में अपनाये गए सुरक्षा के मानकों की वस्तुस्थिति की जानकारी रखने के लिए GIS पद्धति भी शामिल करना चाहिए।
- सभी खतरनाक उद्योगों में **"ऑन–साइट"** और **"ऑफ–साइट"** आपदा प्रबंधन योजनाएं मौजूद होना सुनिश्चित करना (कारखानों की स्थापना अधिनियम के अनुसार) एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। साथ ही इन उद्योगों में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा अभ्यास कराया जाना है। इन योजनाओं की operational readiness के लिए नियमित परीक्षण और मॉकड्रिल करना है।

मौजूदा उद्योगों में उपरोक्त विशिष्ट कार्यों को संपादित किए जाने के आलोक में आपदाओं के संभावित जोखिम एवं खतरों की पहचान करते हुये पूर्व तैयारी किए जाने की आवश्यकता है, जिससे उद्योगों में होने वाली आपदाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। साथ ही प्रतिनियुक्त कर्मियों को आपदाओं की स्थिति में प्रभावी तरीके से बचाव किया जा सके।

विनाशकारी कोरोना महामारी है,
दूसरी तरफ अम्फान की त्रासदी है।
कंही धरती की डगमगाहत
तो कंही बाढ़ की सुगबुगाहट
अब आपदा प्रबंधन की बारी है
इस सब से उबरना हमारी जिम्मेवारी है।।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधि

अजीत कुमार सिंह,
सहायक कमाण्डेंट, 9 बटालियन (एन0 डी0 आर0 एफ0)

1. बिम्सटेक : आपदा प्रबंधन पर संयुक्त अभ्यास

बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु–क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम) एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। वर्तमान में इसके सात सदस्य राष्ट्र है– बंग्लादेश, भारत, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका तथा थाइलैंड। बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन लोग निवास करते हैं जो कि लगभग 3.5 खरब के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ वैश्विक आबादी का लगभग 22% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि बढ़ती आपदाओं की आवृति से मानव जीवन, सम्पत्ति और सांस्कृतिक विरासतों को नुकसान की प्रवृति में वृद्धि हो रही है। वास्तव में देखा जाये तो बिम्सटेक समूह के सभी राष्ट्र विभिन्न प्रकार के आपदाओं जैसे–भूकम्प, भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, सूखा, जंगल की आग इत्यादि के परिप्रेक्ष्य में अतिसंवेदनशील है।

यूनेस्को द्वारा विश्व के 167 देशों में 1121 विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। जिसमें 60 विश्व धरोहर स्थल अकेले बिम्सटेक क्षेत्र में स्थित है। बिम्सटेक क्षेत्र के लोगों के जीवन में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे लगाव को देखते हुए आपदा के दौरान इन सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता आज समय की माँग है। नेपाल के कठमांडू में अप्रैल 2015 मे आये भूकम्प से इस क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत के नुकसान का एक उदाहरण है। वास्तव में सांस्कृतिक विरासत भविष्य की पीढ़ियों को दिया जाने वाला एक गैर–नवीकरणीय संसाधन है। सामान्य रुप से सांस्कृतिक विरासत स्थलों को प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाओं से काफी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। सांस्कृतिक महत्व और सामाजिक–आर्थिक मूल्य के कारण इन ऐतिहासिक धरोहरों और वास्तुकला के नुकसान स्थानीय और राष्ट्रीय समुदायों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिम्सटेक समूह के राष्ट्रों के साथ मिलकर अग्रणी कदम बढ़ाते हुये इस वर्ष फरवरी माह में आपदा प्रबंधन पर आधारित संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जिसका थीम (विषय) आपदा में सांस्कृतिक धरोहरों का रख–रखाव एवं बचाव था। इससे पहले वर्ष 2017 में बिम्सटेक सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी में प्रथम बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का सफल आयोजन नई दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR Region) में किया गया था।

आपदा प्रबंधन पर आधारित इस संयुक्त अभ्यास के पृष्ठभूमि पर नजर ड़ालें तो 30–31 अगस्त 2018 को काठमांडू (नेपाल) में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में सूचना के आदान–प्रदान के जरिए आपदा प्रबंधन में घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहन देने, बचाव के उपायों को अपनाने, पुनर्वास एवं क्षमता विकास के साथ–साथ क्षेत्र की मौजूदा क्षमताओं को और विकसित करने पर बल दिया गया था। साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए एवं तैयारी व तालमेल बढ़ाने के लिए एक कार्य–योजना तैयार करने के लिये अंतर–सरकारी विशेषज्ञ समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में वर्ष 2019–20 में बिम्सटेक राष्ट्र के दुसरे आपदा प्रबंधन अभ्यास और NDMAs/NDMOs के विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था।

11–13 फरवरी 2020 तक ओड़िसा राज्य में आयोजित किये गये बिम्सटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत स्थल पर बाढ़ आपदा परिदृष्य के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करना था। साथ ही आपदा की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला

और स्थानीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को और बढ़ाना था।

आपदा प्रबंधन पर आधारित द्वितीय बिम्सटेक संयुक्त अभ्यास का पहले चरण का अभ्यास 14–15 नवम्बर 2019 को पुरी (ओड़िसा) में किया गया। इस दौरान प्रारंभिक बैठक तथा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्थलों का संयुक्त दौरा बिम्सटेक समूह देशों के प्रतिभागी सदस्यों द्वारा किया गया। साथ ही, अभ्यास से सम्बंधित रुप–रेखा, तौर तरीकों और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अभ्यास 11 से 13 फरवरी 2020 तक ओड़िसा राज्य के भुवनेश्वर तथा पुरी में सफलता पूर्वक किया गया। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन पर आधारित इस बिम्सटेक संयुक्त अभ्यास को कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए श्री सत्य नारायण प्रधान, भा0पु0से0, महानिदेशक के नेतृत्व में एन0डी0आर0एफ0 को नोडल एजेंसी के रुप मे जिम्मेदारी दी गई थी।

11 फरवरी 2020 को इस संयुक्त अभ्यास का विधिवत शुभारंभ ओड़िसा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक द्वारा "मंदिरो के शहर" भुवनेश्वर में किया गया। अभ्यास के प्रथम चरण में भूकम्प एवं बाढ़ आपदा के परिदृश्य में सांस्कृतिक धरोहरों को होने वाले नुकसान, बचाव एवं इससे निपटने के लिए रेस्पांस मैकेनिज्म पर एक "टेबल टॉप एक्सरसाइज" का आयोजन किया गया जिसमें बिम्सटेक सदस्य देशों के प्रतिभागियो ने सक्रिय भागीदारी की। टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान एक्सरसाइज डायरेक्टर के तौर पर श्री सत्य नारायण प्रधान, महानिदेशक, एन0डी0आर0एफ0 नियुक्त थे, जबकि एक्सरसाइज कंट्रोलर श्री रणदीप कुमार राणा, उप महानिरीक्षक, श्री मनोज कुमार यादव, उप महानिरीक्षक एवं कुछ अन्य अधिकारी थे। इसके अलावे टाइम कीपर भी नियुक्त थे। भारतीय रेस्पांस टीम का नेतृत्व श्री विजय सिन्हा, कमाण्डेंट, 9 बटालियन, एन0डी0आर0एफ0 ने किया। टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान आपदा के अलग–अलग परिदृश्य चित्रणों के माध्यम से सभी प्रतिभागी राष्ट्रों के आपदा प्रबंधन के कानूनी व संस्थागत फ्रेमवर्क (Legal & Institutional Framework) आपदा प्रबंधन प्लान, आपदा पूर्व तैयारी, मोबालाइजेशन प्लान, आपदा प्रभावित देश में तैनाती, रेस्क्यू प्लान, आपदा में सांस्कृतिक विरासतों की देखरेख व बचाव हेतु रणनीतियाँ एवं कार्यवाही, विशेषज्ञों की जरुरत, ऑपरेशनल जरुरतें, ऑपरेशनल क्षमता आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पर्यवेक्षक (Observer) के तौर पर INSARAG, ICCROM, UNDP, INTAC, NDMA, MHA, MEA आदि के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर अपने महत्वपूर्ण सुझावों से सभी को अवगत करवाया गया।

"फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज" में श्री नित्यानन्द राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रुप में मौजूद थे। संयुक्त अभ्यास के दौरान आपदा परिदृश्य का वास्तविक रुप देने के लिए पुरी (ओडिसा) के नजदीक स्थित 'रामचंडी बीच' मे एक सिम्युलेटेड़ एक्सरसाइज साइट एन0डी0आर0एफ0 द्वारा तैयार किया गया था। इसमें कुछ शहरों एवं गाँवों के साथ ऐतिहासिक धरोहर कोणार्क सूर्य मन्दिर का रेप्लिका खुबसुरती के साथ तैयार किया गया था। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एन0डी0आर0एफ0 द्वारा लगातार बारिश और चक्रवात के कारण रामचंडी बीच (पुरी, ओडिसा) तथा आस–पास के इलाके में भीषण बाढ़ की स्थिति का चित्रण किया गया था जिसमें हजारों के तदाद में लोगों व जानवरों के फंसे होने का काल्पनिक परिदृश्यों चित्रित किया गया था। भीषण बाढ़ में सांस्कृतिक धरोहर जलमग्न होने का भी चित्रण किया गया था। शहरों एवं गाँवों में फँसे लोगों को चित्रित करने के लिए बड़ी संख्या मे डमी (Dummy) संरचनाएँ 'रामचंडी बीच' में बनाई गई थी।

फील्ड् ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान अलग–अलग चित्रित परिदृश्यों के अनुसार सभी प्रतिभागी राष्ट्रों के रेस्पांस टीमों ने अपने ऑपरेशनल कार्यक्षमता तथा दक्षता के अनुसार रेस्क्यू कार्यवाही को अंजाम दिया। इस दौरान एन0डी0आर0एफ0 के बचाव कर्मियों द्वारा एक्सरसाइज स्थल (रामचंडी बीच) पर घरेलू सामग्री से बनाये जाने वाले जीवन रक्षक उपकरणों (Improvised Raft) जैसे– बॉल राफ्ट, पानी बोतल राफ्ट, सुखा नारियल राफ्ट, ड्रम/बैरल राफ्ट, तसला राफ्ट, केला तना राफ्ट, चरपाई राफ्ट, थर्मोकोल राफ्ट, बाँस (बम्बू) राफ्ट, ट्यूब राफ्ट आदि का प्रदर्शन भी किया गया।

बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रों के बचाव दलों ने बाढ़ में फँसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने में अत्याधुनिक उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल करते हुये संयुक्त रुप से उत्कृष्ट बाढ़–बचाव कौशल का प्रदर्शन किया। बाढ़ में फँसे लोगों तक बचाव कार्मियों को पहुँचाने तथा पीड़ितों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए रिवर एम्बुलेंस (River Ambulance) का भी व्यवसायिक तरीके से इस्तेमाल किया गया।

इस संयुक्त अभ्यास का सबसे रोचक पहलू आपदा में सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट होने से बचाने के दिशा में किया गया सामूहिक प्रयास था। एक्सरसाइज स्थल पर प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मन्दिर का जलमग्न रेप्लिका खुबसुरती से तैयार किया गया था। आपदा में बचाव दलों द्वारा इस प्रकार के सांस्कृतिक धरोहरों को बिना क्षति पहुँचाये कैसे रेस्पांस कार्यवाही किया जाना चाहिए? इसका जीवन्त प्रदर्शन किया गया। इस प्रकार का यह पहला अभ्यास था जिसमें एन0डी0आर0एफ0 के साथ–साथ राज्य की रेस्पांस टीम, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन सेवा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल एवं बिम्सटेक के सदस्य राष्ट्रों के बचाव दलों ने सार्थक भागीदारी की तथा इसे सफल बनाया।

भारत में पहली बार इस प्रकार का अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका थीम (विषय) आपदा में सांस्कृतिक धरोहरों का रख–रखाव एवं बचाव था। इस अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागी राष्ट्र के सदस्यों को बाढ़, चक्रवात और तूफान के दौरान सांस्कृतिक धरोहरों को होने वाले खतरों एवं उसके बचाव तकनीक को समझने मे मदद मिली। सभी प्रतिभागी बिम्सटेक देशों की आपदा प्रतिक्रिया, समन्वय और परस्पर सहयोग में एकाकीकरण निश्चित तौर पर भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी।

इस आपदा प्रबंधन अभ्यास में बिम्सटेक समूह के राष्ट्रों (भूटान व थाइलैंड को छोडकर) के साथ–साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI), भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, सिविल ड़िफेन्स, अग्निशमन सेवा, ओडिसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स आदि ने सक्रियता के साथ भाग लिया तथा इसे सफल बनाया। इस संयुक्त अभ्यास में बिम्सटेक सचिवालय, इंटरनेशनल सर्च एण्ड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप (INSARAG), इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रीजर्वेशन एण्ड रेस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रोपार्टी (ICCROM), इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय भागीदारी की।

इस अभ्यास के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्व सूचना साझा प्रणाली, प्रशिक्षण, आपदा प्रतिक्रिया तथा क्षेत्रीय सहयोग क्षमता निर्माण पर भी विशेष बल दिया गया। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यह अभ्यास बिम्सटेक समूह देशों के बीच आपदा के दौरान जानमाल बचाने के साथ–साथ सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के दिशा में बेहतर तैयारी आपसी तालमेल व क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों को एक नई गति प्रदान करेगा।

ताडंव है नोवेल कोरोना वायरस का
जनहानि का, नुकसान का
ऐसा वक्त है, इम्तहान का
दूरी बनाये रखना जरूरी हैं
इसान का।।

राष्ट्रीय गतिविधि

ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में

प्राकृतिक आपदा से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गयी है। आपदाओं से निपटने के लिए दिनांक 12–13 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज, हैदराबाद द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्रबंधन प्राधिकरण के परियोजना पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों ने विस्तार से विचार रखे। वक्ताओं ने आपदा प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना की जानकारी दी गयी। कार्यशाला में केरल सरकार द्वारा तैयार किये गये ग्राम पंचायत आपदा प्रबंधन योजना पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी दी गयी। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिनिधियों से केरल का अनुभव भी साझा किया गया।

विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने–अपने राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अनुभव साझा किये। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर पंचायती राज संस्थानों का राज्य एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही प्रस्तावित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यशाला के दूसरे दिन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज द्वारा तैयार की गई ''ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी एवं प्रारुप प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में विस्तृत चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण हुआ। संस्थान के मॉड्यूल पर पाँच दिवसीय राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया गया। राज्यों के प्रतिनिधियों ने निपटने की प्रशिक्षण मॉड्यूल पर सुझाव दिये। कार्यशाला में आये सुझावों को प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसे बाद ही राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, ताकि आपदा से निपटने के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर तैयारी की जा सके। इनसे हम आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम कर सकेगें। राज्यों की तैयारी से यह महसूस किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से निपटने की जमीनी तैयारी को जल्द ही कार्यरूप में लाया जाए।

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। यहां लगभग सभी तरह के प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं आती है। यह राज्य जहाँ एक ओर लगभग हर वर्ष बाढ़ के प्रकोप का सामना करना है, वहीं दूसरी ओर सुखाड़, अग्निकांड, शीतलहर एवं लू आदि से आपदाओं का सामना करता है। प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, परंतु हम इनके कुप्रभावों को कम कर सकते हैं। हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र का परिदृश्य बदला है। अब आपदा प्रबंधन मात्र रिलिफ केन्द्रित नहीं रह गया है, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। राज्य सरकार ने सेंडई (जापान) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर आयोजित विश्व सम्मेलन में तय किए गये वैश्विक लक्ष्यों के आलोक में 15 वर्ष का रोडमैप तैयार किया गया है। जिसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30'' कहते हैं। इस रोडमैप में ''सुरक्षित बिहार'' की संकल्पना की गई है। रोडमैप में जिन पाँच स्तंभों पर खड़ा है उसमें ''सुरक्षित शहर'' का सीधा संबंध हमारे शहरी निकायों एवं उनके प्रतिनिधियों से है।

इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन करने का निर्णय लिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि शहरी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु शहरी निकायों के प्रतिनिधि, अधिकारी एवं नागरिक संवेदित हों और उनमें आवश्यक कौशल एवं क्षमता विकास हो सके।

इसी क्रम में सभी नगर निकायों का प्रस्तावित प्रशिक्षण आयोजन के प्रथम चरण में ग्रुप – 'अ' के जिलों को शामिल किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2020 में शुरू हुआ है। फरवरी 2020 में दरभंगा नगर निकाय के 19 वार्ड पार्षद एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। माह मार्च 2020 में बेनीपुर नगर परिषद एवं जोगबनी नगर पंचायत के 25 वार्ड पार्षदों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इस प्रकार अबतक राज्य के कुल 44 वार्ड पार्षद एवं पदाधिकारी को प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

04–06 मार्च 2020 से आयोजित दूसरे बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में श्री लक्ष्मेश्वर राय, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया गया। माननीय मंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होने प्राधिकरण को शहरी आपदाओं को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया।

बच्चा, बुढ़ा और जवान,
मास्क पहने सांझ–विहान।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य में प्रखण्ड स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से राज्य के सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रशिक्षण में जन प्रतिनिधियों को बहु–आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इससे आपदाओं के जोखिम की पहचान कर उसका सामना करने एवं ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्यों के अनुसार ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्पों को पूरा किया जा सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 2018 से चयनित प्रखंडों के प्रमुखों के लिए ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों में दिसम्बर 2019 तक कुल 351 प्रमुख तथा 24 जिला परिषद् अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया। जनवरी में 05 प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार अब तक कुल 356 प्रखण्ड प्रमुखों एवं 24 जिला परिषद अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्राधिकरण के लगातार प्रयास के बावजूद प्रशिक्षण सत्रों में प्रमुखों, अध्यक्षों की कम उपस्थिति से प्रशिक्षण कार्यक्रम समय पर पूरा करने में कठिनाई होती है।

आपदा प्रबंधन टीम का प्रयास

बाढ़ भूकम्प में फंसे लोग, लें राहत की सांस।

सड़क सुरक्षा सप्ताह : व्यापक पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन

सड़क दुर्घटनाओं में क्षति को देखते हुए 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार है :–

रक्त दान एवं नेत्र जाँच शिविर

12 एवं 13 जनवरी 2020 को परिवहन विभाग, जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं ऑल इंडिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ, ऑटो यूनियन के सहयोग से विभिन्न जिलों में रक्तदान एवं नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग द्वारा राज्य एवं जिले के स्तर पर विभिन्न जन–जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम चलाये गए।

स्वास्थ्य जांच शिविर एवं प्राथमिक उपचार विषय पर प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेंम्पू) चालक संघ (एक्टू), AIIMS पटना, परिवहन विभाग एवं भामा साह भोजन सेवा केन्द्र के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह का अयोजन किया गया। इस दौरान 11–17 जनवरी 2020 तक इस स्वास्थ्य जांच शिविर के अन्तर्गत लगभग 600 कॉमर्शियल ड्राइवर और आम लोगों के आँख एवं लगभग 2000 ऑटो चालकों व अन्य लोगों सामान्य स्वस्थ्य जाँच की गई। यह आयोजन पटना जंक्शन स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में अनवरत एक सप्ताह तक चला। परिवहन विभाग द्वारा आँख रोगियों में मुफ्त चश्में बांटे गये।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

प्राधिकरण द्वारा परिवहन विभाग, AIIMS पटना, संकल्प ज्योति एवं प्रेरणा के सहयोग से जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत NH-19 के निकट स्थित सारण जिले के दो चिन्हित विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक

प्राधिकरण द्वारा AIIMS पटना, संकल्प ज्योति एवं प्रेरणा के सहयोग से पटना जिले के तीन चिन्हित विद्यालयों, संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला एवं प्राथमिक उपचार विषय पर प्रशिक्षण एवं नुक्कड नाटक का आयोजन किया गया। इसमें लगभग चार सौ छात्र–छात्राओं ने भाग लिया एवं सड़क सुरक्षा के उपायों की जानकारी ली।

नुक्कड़ नाटक से सड़क सुरक्षा की दी गयी जानकारी

प्राधिकरण द्वारा प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा), दोस्ताना सफर, निर्माण कला मंच, आपसदारी कला मंच एवं प्रवीण सांस्कृतिक मंच के सहयोग से पटना के फतुहा, फुलवारीशरीफ, दानापुर, बिहटा, मनेर, मसौढ़ी एवं दीघा में कुल 90 चिन्हित सामुदायिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में जन–जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक टीमों द्वारा सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों यथा यात्रा के दौरान दुपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग, यात्रा के दौरान मोबाइल एवं इयर फोन का प्रयोग न करना एवं सेल्फी न लेना, पैदल चलते समय अथवा वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करने आदि की जानकारी नाटकों के माध्यम से प्रदान की गई। इस दौरान प्राधिकरण के स्तर पर तैयार की गई प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौकों पर आमलोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों को अपनाने की शपथ दिलाई गयी।

सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद के लिए संवेदीकरण

टैंकर चालकों एवं आम लोगों के बीच स्वास्थ्य जाँच और प्राथमिक चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण एवं सड़क

दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के संबंध में Good Samaritan गाइडलाइन्स के बारे में व्यापक पैमाने पर संवेदीकरण कार्यक्रम चलाया गया। उन्हें दुर्घटना रोकने के उपाय, दुर्घटना उपरान्त प्राथमिक चिकित्सा एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के संबंध में Good Samaritan गाइडलाइन्स से अवगत कराया गया। प्राधिकरण द्वारा SDRF एवं HPCL के सहयोग से जागरूकता सप्ताह के दौरान 13 एवं 14 जनवरी 2020 को HPCL डिपो के प्रांगण में लगभग 300 टैंकर चालकों एवं अन्य लोगों की स्वास्थ्य जाँच भी की गयी।

सड़क सुरक्षा की जानकारी के लिए अम्ब्रेला वाक

प्राधिकरण द्वारा कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस एवं भारतीय स्टेट बैंक (सचिवालय शाखा) के सहयोग से पटना के विभिन्न क्षेत्रों में ''अंब्रेला वॉक फॉर रोड सेफ्टी'' कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्राधिकरण स्तर से प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण एवं जगह–जगह स्कूली छात्र–छात्राओं के बीच सुरक्षित वाहन चलाने एवं सड़क सुरक्षा निमयों के पालन के लिए जागरूक किया गया। छात्रों के सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गयी।

चित्रकारी एवं नारा लेखन प्रतियोगिता

प्राधिकरण द्वारा ''सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा'' विषय पर कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रतिदिन पटना के एक चिन्हित विद्यालय में लगभग 50–60 छात्र–छात्राओं के बीच पेंटिंग, नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

स्कूल–कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

प्राधिकरण द्वारा डॉ0 श्रवण कुमार सिंह, सिनियर मास्ट्रर ट्रेनर, रेड क्रॉस, के सहयोग पटना शहरी क्षेत्र के चिन्हित नौ विद्यालयों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राधिकरण के स्तर से प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण किया गया तथा इस मौके पर छात्र–छात्राओं को शपथ भी दिलायी गयी।

ट्रैफिक पार्क का अधिष्ठापन

परिवहन विभाग एवं कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक यातायात चिन्हों एवं उपायों की जानकारी के उद्देश्य से पटना के वीर कुँवर सिंह पार्क में ट्रैफिक पार्क स्थापित किया गया। यहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगो को सड़क सुरक्षा संबंधित अनेक जानकारी मिली।

पोस्टर–पंपलेट्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार

प्राधिकरण द्वारा आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ, ऑटो टेम्पों यूनियन समेत अन्य संगठनों के सहयोग से राजधानी पटना एवं राज्य के सभी जिलों में पोस्टर, पंपलेट्स के माध्यम से सघन प्रचार–प्रसार किया गया।

बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम सैटलमेंट

पूर्व के वर्षों की भांति भारतीय जीवन निगम, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0, ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं0 लि0 आदि के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य के सभी जिलों में क्लेम सैटलमेंट अभियान चलाया गया। भारतीय जीवन निगम ने विशेष सप्ताह के दौरान कुल 29 accidental क्लेम सैटल करते हुये कुल राशि रू 57 लाख का भुगतान किया, नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0, 31 जिलों में अभियान चलाकर कुल 1100 क्लेम में 4,92,00,606 रू0 भुगतान, यूनाइंटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0, 04 जिलों 48,14,000/ रू0 का भुगतान और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 द्वारा कुल 113 क्लेम रू 18,67,000/रू0 का भुगतान किया।

इस प्रकार इन बीमा कंपनियों द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 1371 मामलों में 17281606/– रू0 का भुगतान किया गया। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया। प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। प्राधिकरण ने विभिन्न हितभागियों को इस सप्ताह के दौरान लगातार मास मैसेजिंग से सड़क सुरक्षा की जानकारी दी।

सड़क सुरक्षा सप्ताह : सम्मानित हुए हितभागी

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने विभिन्न हितभागियों की मदद से सड़क सुरक्षा सप्ताह (11–17 जनवरी 2020) व जन–जागरूकता अभियान चलाया। 19 जनवरी 2020 को प्राधिकरण द्वारा सप्ताह के दौरान अपना सहयोग प्रदान करने वाले सभी हितभागियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में परिवहन विभाग, बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ (एक्टू), AIIMS पटना, ऑल इंडिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ, भामा साह भोजन सेवा केन्द्र SDRF, HPCL भारतीय जीवन निगम, यूनाइंटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0, ओरियन्टल इंश्योरेंस कं0 लि0, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस, संकल्प ज्योति, प्रेरणा (जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा), दोस्ताना सफर, निर्माण कला मंच, आपसदारी कला मंच एवं प्रवीण सांस्कृतिक मंच नुक्कड़ नाटक मंडली आदि के पदाधिकारियों, कर्मियों और प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया।

12744 राजमिस्त्रियों एवं 2414 अभियंताओं के लिए भूकम्परोधी भवनों के निर्माण की ट्रेनिंग जारी

प्राधिकरण द्वारा राज्य में भूकम्परोधी भवन निर्माण के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनवरी, 2020 में 12000 से अधिक राजमिस्त्रियों एवं 2500 से अधिक अभियंताओं को ट्रेनिंग दिया गया। 05 से 11 फरवरी 2020 तक जमुई के 10 प्रखंडों में 288 राजमिस्त्रियों एवं लखीसराय के 07 प्रखंडों में 203 (कुल 491 राजमिस्त्रियों को सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।) 26 से 29 फरवरी 2020 तक सारण के 38 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। 03 फरवरी 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों एवं भावी प्रशिक्षकों के लिए कुल 61 लोगों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया। वहीं 17 फरवरी 2020 को अभियंता प्रशिक्षण के लिए भावी प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर्स के लिए कुल 10 लोगों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स सम्पादित किया गया। 18 फरवरी 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों एवं भावी प्रशिक्षकों के लिए कुल 27 अभियंताओं का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया। 19 फरवरी 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों एवं भावी प्रशिक्षकों के लिए कुल 20 राजमिस्त्रियों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया। 24 फरवरी 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षकों व भावी प्रशिक्षकों के लिए कुल 68 लोगों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स चलाया गया। इस प्रकार जनवरी 2020 तक कुल 12253 राजमिस्त्री एवं 2294 असैनिक अभियंता प्रशिक्षित किये गये। फरवरी 2020 तक कुल **12744 राजमिस्त्रियों** को एवं **2414 असैनिक अभियंताओं** को प्रशिक्षण दिया गया।

जनवरी 2020 में संचालित कार्यक्रम

अभियंताओं का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**प्रशिक्षण तिथि/स्थान**	**प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या**
1	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	15 से 18 जनवरी/भागलपुर	40 अभियंता
2	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	22 से 25 जनवरी/मुंगेर	47 अभियंता
3	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	22 से 25 जनवरी/बांका	32 अभियंता
4	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	04 से 10 जनवरी/भागलपुर	478 राजमिस्त्री
5	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	18 से 24 जनवरी/मुंगेर	319 राजमिस्त्री
6	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	18 से 24 जनवरी/बांका	270 राजमिस्त्री
7	रिफ्रेशर कोर्स	02, 07 एवं 16 जनवरी को BSDMA, पटना में	
8	"बिहार भूकम्प आपदा प्रबंधन मार्गदर्शिका"	28 से 29 जनवरी 2020 को ज्ञान भवन पटना में	

भागलपुर जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 04 से 10 जनवरी 2020		
क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या**
1	नारायणपुर	30
2	बिहपुर	30
3	खरीक	30
4	नवगछिया	30
5	रंगरा चौक	30
6	गोपालपुर	30
7	इस्माईलपुर	30
8	पीरपैंती	30
9	कहलगॉव	29
10	सबौर	30
11	सन्हौला	29
12	नाथनगर	30
13	सुल्तानगंज	30
14	शाहकुण्ड	30
15	जगदीशपुर	30
16	गोराडीह	30
		कुल 478

बांका जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 18 से 24 जनवरी 2020		
क्र. सं.	**ब्लॉक का नाम**	**प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या**
1	धौरैया	30
2	बोसी	30
3	बाराहाट	27
4	रजौन	30
5	अमरपुर	29

बांका जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 18 से 24 जनवरी 2020		
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
6	फुल्लीडुमर	27
7	बांका सदर	29
8	चांदन	29
9	कटोरिया	29
10	बेलहर	30
11	शम्भूगंज	29
		कुल 319

साभार : वलोवाला.कॉम

मुंगेर जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 18 से 24 जनवरी 2020		
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	तारापुर	30
2	असरगंज	30
3	टेटिया बम्बर	30
4	खड़गपुर	30
5	संग्रामपुर	30
6	बरियारपुर	30
7	मुंगेर सदर	30
8	जमालपुर	30
9	धरहरा	30
		कुल 270

फरवरी 2020 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण तिथि/स्थान	प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या
1	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	05 से 08 फरवरी/जमुई	60 अभियंता
2	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	05 से 08 फरवरी/लखीसराय	22 अभियंता
3	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	26 से 29 फरवरी/सारण	38 अभियंता
4	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	05 से 11 फरवरी/जमुई	288 राजमिस्त्री
5	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	05 से 11 फरवरी/लखीसराय	203 राजमिस्त्रीं
6	रिफ्रेशर कोर्स	03, 17, 18, 19 एवं 24 फरवरी को BSDMA, पटना में।	

जमुई जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 05 से 11 फरवरी 2020		
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	सोना	30
2	गिद्धौर	30
3	चकाई	29
4	बरहट	30
5	लक्ष्मीपुर	28
6	झाझा	29
7	अलीगंज	26
8	सिकंदरा	26
9	जमुई सदर	30
10	खैरा	30
		कुल 288

लखीसराय जिला में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 05–11 फरवरी 2020		
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	बरहिया	29
2	लखीसराय सदर	30
3	पिपरीया	29
4	सूर्यगढ़ा	29
5	चानन	30
6	रामगढ़ चौक	26
7	हलसी	30
		कुल 203

हम सुरक्षित रहें, सब सुरक्षित रहें।
वो सुरक्षित रहें, पूरा जन सुरक्षित रहे।।
ये आपदा की घड़ी में धन सुरक्षित रहे।
तैयारी पूरी रहे तो पूरी वसुन्धरा सुरक्षित रहे।।

गाँव, शहर हो या नगर,
फेस मास्क के साथ हीं सफर।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम – सुरक्षित शनिवार (मदरसा के फोकल शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण)

विद्यालयों के प्रत्येक शनिवार को, बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को आपदा सम्बन्धी जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को आपदा से सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में अब तक कुल 40 बैचों में 1140 मदरसों के फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। पूर्व निर्धारित वार्षिक सारणी के अनुसार फरवरी माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में "भूकंप से खतरे एवं बचाव की जानकारी दी गयी। यह जानकारी फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा मॉकड्रील कर दी गयी। फरवरी माह के दूसरे शनिवार को "कुपोषण से होने वाली परेशानियाँ एवं उसके समाधान के बारे में बताया गया। तीसरे शनिवार को "बिजली से घात, जल जमाव, तथा बोरिंग के गड्ढे (बोरबेल) से होनेवाली घटनाओं के और चौथे शनिवार को "जल एवं भूमि का संरक्षण", वायु प्रदूषण एवं पौधा के बारे में बताया गया।

राज्य के सभी मदरसों के फोकल शिक्षकों का प्रशिक्षण

बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के सहयोग से, सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत अक्टूबर 2019 से अनुग्रह नारायण सिंह सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना यूथ हॉस्टल, पटना और स्नेह धारा चकारम, पटना में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुरु किया गया। फरवरी 2020 तक अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, बांका, सुपौल, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, शिवहर, सीतामढी, दरभंगा, रोहतास एवं मधुबनी समेत कुल 18 जिलों कें 40 बैचों में 1140 मदरसों के शिक्षकों को फोकल शिक्षक का प्रशिक्षण दिया गया। जनवरी में मधुबनी जिला के शेष 66 मदरसों के 66 शिक्षकों को फोकल शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फरवरी में कुल 12 बैचों में सारण, सिवान तथा अन्य 15 जिलों के बचे शेष 453 मदरसों के कुल 453 मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जिला स्तरीय "सड़क सुरक्षा जागरूकता" कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने विभिन्न हितभागियों के सहयोग से माह सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में युवक–युवतियों व उनके परिवारों को सुरक्षित रहने की जानकारी दी गयी। यह कार्यक्रम 30 नवम्बर 2019 को आयोजित इस कार्यक्रम में परिवहन विभाग, AIIMS पटना, संकल्प ज्योति और प्रवीण सांस्कृतिक मंच के साथ–साथ अन्य संगठनों के सहयोग से विभिन्न जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले के अन्य प्रमुख शहरों के किनारे व आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों एवं कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक, फिल्म प्रदर्शन कर जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार के लिए सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुये छात्र–छात्राओं द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा के लिए शपथ दिलवाना व प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियों को चलाया गया। इस संबंध में प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामगियाँ तैयार किया है। नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माह में सारण जिले के नया गाँव, दिघवारा, सोनपुर, शीतलपुर एवं आमी प्रखंडों के निम्नलिखित विद्यालयों में यह कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

क्र0 सं0	तिथि	विद्यालय का नाम
1	30.11.2019	गोगल सिंह, इटंर स्तरीय विद्यालय, नया गाँव, सारण
2		पहाड़ीचक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोनपुर, सारण
3	05.12.2019	जिला के के0 पी0 एस0 गंगाजल उच्च विद्यालय, सोनपुर, सारण
4		रघुवीर सिंह उच्च विद्यालय, महादली चक, सोनपुर, सारण
5	13.12.2019	रामजंगल सिंह कॉलेज, दिघवारा, सारण
6		जय गोविंद सिंह उच्च विद्यालय, दिघवारा, सारण
7	20.12.2019	रामसुंदर दास महिला कॉलेज, सोनपुर सारण
8		एच0 पी0 एस0 सेमीनरी उच्च विद्यालय, सोनपुर, सारण

क्र0 सं0	तिथि	विद्यालय का नाम
9	16.01.2020	श्री यमुनाचारी हाई स्कूल, दरियापुर, सारण
10		जनक ईश्वर हाई स्कूल, शीतलपुर, सारण
11	24.01.2020	राजकीय उच्च विद्यालय, आमी, सारण
12		राम अवतार सांस्कृतिक उच्च विद्यालय, हराजी, दीघवारा, सारण
13	31.01.2020	शक्ति शांती एकेडमी, आमी, सारण
14		गर्ल्स हाई स्कूल, दीघवारा, सारण
15	07.02.2020	जे0 डी0 एस0 पब्लिक स्कूल, सोनपुर, सारण
16		केंद्रीय विद्यालय, सोनपुर, सारण
17	15.02.2020	यदुनन्दन कॉलेज, दीघवारा, सारण
18		बी0 बी0 राम हाई स्कूल, दीघवारा, सारण
19	20.02.2020	तपसी सिंह हाई स्कूल, दिघवारा, सारण
20		उत्क्रमित हाई स्कूल, मानपुर, दिघवारा, सारण

कार्यक्रम में इन विद्यालयों के लगभग 3000 छात्र–छात्राओं एवं शिक्षक–शिक्षिकाओं की भागीदारी हुई।

आपदा से बचने की मिली जानकारियाँ
चार दिनों तक चला प्राधिकरण का जागरूकता अभिमान

बिहार एक्सपो के दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा चार दिनों तक लोगों को आपदा बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। बिहार एक्सपो का आयोजन गाँधी मैदान में 6–10 फरवरी तक किया गया था। इस आयोजन में प्राधिकरण ने DRR जागरूकता स्टॉल लगाया। इस कार्यक्रम में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम एवं जोखिम न्यूनीकरण के बारे में जानकरी दी गयी। इस दौरान आमलोगों में जन–जागरूकता से संबंधित सामग्रियों का वितरण किया गया, जो इस प्रकार है –

भुकम्परोधी भवन का निर्माण	भुकम्प से बचाव के उपाय
बाढ़ से सुरक्षा के उपाय	नदियों, तालाबों, गड्ढों में डूबने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी सलाह (Advisory)
नाव दुर्घटना से बचने के उपाय	ठनका (वज्रपात) अथवा आसमानी बिजली गिरने से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय से संबंधित सलाह (Advisory)
वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से संबंधित सलाह (Advisory)	गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय
ऑनलाइन मोबाईल/इंटरनेट गेम्स जैसे– (ब्लू व्हेल, मोमो आदि) के कारण बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य की जनता को जरूरी सलाह (Advisory)	अगलगी से बचाव के उपाय

इस मौके पर SDRF के जवानों ने लोगों को लगातार विभिन्न आपदाओं से निपटने की जानकारी दी। एस0 डी0 आर0 एफ0 के द्वारा हृदय के पुनः धड़कन के लिए (सी0पी0आर0) एवं प्राथमिक उपचार की विधियों के बारे में आम लोगों को बताया गया। बिहार अग्निशाम सेवा के कर्मियों द्वारा अग्निशामक यंत्र के उपयोग विधि की जानकारी दी। SDRF के जवानों ने प्रयोग कर लोगों को बताया कि, कैसे इस प्रकार की आपदा में आसानी से बचा एवं बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में गैस सिलेण्डर के उपयोग के संबंध में सावधानियाँ बरतनें एवं अगलगी की स्थिति में आग बुझाने की जानकारी दी गयी। इस प्रकिया में गृहणियों भी शामिल हुई। लोगों को इस मौके पर प्रवीण सांस्कृतिक मंच की टीम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं भूकंप सुरक्षा विषय पर नुक्कड़ नाटक का आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिला।

Bihar Expo 2020 के आयोजन में प्राधिकरण की सक्रिय भूमिका रही। आयोजन के समापन पर बिहार इन्डस्ट्रीज ऐसोसियेशन द्वारा प्राधिकरण के स्टॉल को ''तृतीय पुस्कार'' प्रदान किया गया।

पुनर्नवा के आगामी विशेषांक में पढ़ें

Covid-19 : वैश्विक महामारी

बाढ़ आपदा प्रबंधन प्रत्युक्तर,

भूकम्परोधी भवन निर्माण

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम
भोजपुर एवं बेगूसराय के पदाधिकारियों की बैठक

राज्य में डूबने से होने वाली मौत की घटना को रोकने के लिए प्राधिकरण के स्तर पर तैराकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स का चयन जिला प्रशासन के सहयोग से कराया जाएगा। प्राधिकरण के लिए मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समुदाय के स्तर पर हितधारकों का संवेदीकरण, बालक–बालिकाओं का चयन, प्रशिक्षण स्थल का चयन, तरणताल का निर्माण आदि से संबंधित काम सफलता पूर्वक किया जा सकेगा। इससे होने वाली खर्च पर विमर्श के लिए श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक हुई। 14 फरवरी, 2020 को आयोजित इस बैठक में भोजपुर के शाहपुर, बड़हरा, बेगूसराय के बेगूसराय, मटिहानी एवं बरौनी प्रखंडों के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में, कुमार मंगलम, अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, कैप्टन सुमन सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI, डॉ0 कुमारी उषा सिन्हा, प्राचार्या, बलदेवा इंटर स्कूल, दानापुर श्री उत्पल हिमवान, अंचल अधिकारी, सदर बेगूसराय, श्री उपेंद्र कुमार, अंचल अधिकारी, मटिहानी, श्री सुजीत सुमन, अचंल अधिकारी, बरौनी, श्री रवि शंकर सिन्हा, अंचल अधिकारी, शाहपुर, भोजपुर एवं श्रीमती आलोक दिव्या, अंचल अधिकारी, बड़हरा, भोजपुर शामिल हुए।

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन, समुदाय स्तर पर बालकों का चुनाव एवं प्रशिक्षण, मास्टर प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक अनुदेश, कार्यक्रम के लिए बजट का मदवार विवरण एवं कार्यक्रम संचालन में प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला प्रशासन से अपेक्षाओं के संबंध में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। भोजपुर जिले के शाहपुर, बड़हरा एवं बेगूसराय जिले के बेगूसराय, मटिहानी, बलिया एवं बरौनी प्रखण्डों में, सुरक्षित घाटों के चयन एवं प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित कर, प्राधिकरण को सूचित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला स्तर पर प्रशिक्षण की दैनिक गतिविधियों के अवलोकन हेतु Whatsapp Group बनाने एवं बैठक के गतिविधियों से संबंधित फोटो अपडेट करते रहने का निर्णय लिया गया।

तय किया गया कि जिलों के द्वारा NINI में सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अन्तर्गत मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण के लिए सूची, प्राधिकरण को भेजी जायेगी।

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के अन्तर्गत बलदेवा विद्यालय, दानापुर के छात्र–छात्राओं को खेल के लिए निर्धारित अवधि में तैराकी प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में श्री मृत्युन्जय कुमार, अपर समाहर्त्ता, पटना एवं डॉ0 कुमारी उषा सिंह, विद्यालय की प्राचार्या शामिल हुए। जिला प्रशासन, पटना के सहयोग से बलदेवा विद्यालय में तैराकी प्रशिक्षण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किये जाने पर सहमति बनी। इसके लिए स्कूल प्रशासन द्वारा तैराकी प्रशिक्षण में शामिल होने वाले छात्र–छात्राओं की सूची तैयार करने का निर्णय लिया गया।

सुरक्षित तैराकी का कार्यक्रम

पटना जिले के पंडारक, मनेर एवं फतुहा प्रखण्डों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स एवं पदाधिकारियों की बैठक

राज्य में डूबने से होने वाली मौत को रोकने के लिए प्राधिकरण सभागार में, "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम शुरू करने के लिए 05 फरवरी, 2020 को बैठक हुई। बैठक में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा समुदाय स्तर पर हितधारकों का संवेदीकरण, बालक–बालिकाओं का चुनाव, प्रशिक्षण स्थल का चुनाव एवं अस्थायी तरण–ताल के निर्माण व बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कई निर्णय लिए गये। प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं के विमर्श के लिए श्री पी0 एन0 राय, सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पटना जिला के पंडारक, मनेर एवं फतुहा प्रखण्डों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स एवं पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में श्री मृत्युन्जय कुमार, अपर समाहर्त्ता, पटना, कैप्टन सुमन सहाय, पूर्व प्रचार्य, NINI, पटना, मो0 कलीमुद्दीन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाढ़, श्री अखिलेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सिटी, श्री संजय कुमार झा, अंचलाधिकारी, मनेर, श्री अश्विनी कुमार चौबे, अंचलाधिकारी, पंडारक, पटना एवं मनेर, पंडारक, एवं फतुहा प्रखण्डों के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

बैठक में श्री शशि भूषण तिवारी, उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा समुदाय स्तर पर प्रशिक्षण के आयोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। डा0 जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समुदाय स्तर पर सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समुदाय स्तर पर बालकों का चुनाव एवं प्रशिक्षण, मास्टर प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक अनुदेश एवं प्रखंड, अंचल, अनुमंडल, जिला प्रशासन से अपेक्षाओं के संबंध में प्रतिभागियों को अवगत कराया। अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना, श्री मृत्युंजय कुमार ने प्रशिक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में पटना जिला के प्रखण्डों में समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं का प्रशिक्षण 02 मार्च से शुरू करने की सहमति बनी। घाटों का चयन 25 फरवरी तक और प्रशिक्षण लेने वालों की सूची 28 फरवरी तक तैयार करने का निर्णय लिया गया। घाटों के चयन का सत्यापन एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 से कराने का निर्देश दिया गया। मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशासन द्वारा पटना जिले के पंडारक के पहलवान घाट, फतुहा में एक घाट, मनेर के रामपुर घाट (सोन नदी) शेरपुर, रतनटोला, दुधैला, दोस्तनगर और टाटा कॉलोनी के घाटों की जाँच कर प्रशिक्षण स्थलों का निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

लू से निपटने की तैयारी
कार्ययोजना के लिए कार्यशाला का आयोजन

राज्य में गर्म हवाएं या लू की कार्य योजना (Heat Action Plan) पर विमर्श के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। 25 फरवरी को आयोजित यह कार्यक्रम श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कार्यशाला में विभिन्न शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष) एवं सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में डा0 मुजफ्फर अहमद, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नई दिल्ली, डा0 एस0 सी0 भान, वैज्ञानिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली एवं श्री अनूप श्रीवास्तव, वरीय सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली शामिल हुए। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से गर्म हवाएं या लू के प्रभाव को कम करने संबंधी जानकारी दी गयी। लू से प्रभावित जिलों गया, नवादा एवं औरंगाबाद द्वारा 2019 में की गई कार्रवाई एवं 2020 में की जाने वाली कार्रवाई पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से चर्चा हुई। कार्यशाला में निर्णय लिया गया कि सभी हितभागी लू से बचाव के लिए Heat Action Plan के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि आम लोगों को लू एवं गर्म हवाओं जैसी आपदा से सुरक्षा दी जा सके।

फेफड़े ने है आवाज लगाई,
मास्क पहन हीं निकलो भाई।

आपदा से निपटने में सक्षम होगें पुलिस अधिकारी 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' का मिला प्रशिक्षण

प्राधिकरण की 5वीं बैठक (25 जून 2011) एवं 11वीं बैठक (16 नवम्बर 2017) में लिए गये निर्णय के आलोक में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह ट्रेनिंग इसलिए भी आवश्यक है कि बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में ये प्रथम रिस्पाँडर की भाँति होते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क, रेल, हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी अहम भूमिका प्राथमिक महत्व की होती है। प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन्हें किसी भी आपदा से निपटने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जाय।

प्राधिकरण के इस निर्णय के तहत बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण 19 से 21 नवम्बर 2019 तक बिपार्ड, पटना में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किया। इस मौके पर प्राधिकरण के सदस्य डॉ0 यू. के. मिश्र तथा श्री पी.एन. राय के साथ-साथ महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, श्री आलोक राज, श्री अमित कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, विधि एवं व्यवस्था तथा सहायक निदेशक बिपार्ड, श्री सत्यप्रकाश मिश्रा मौजूद थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 जिलों के पुलिस उपाधीक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये।

प्रशिक्षण का दूसरा चरण 03 दिसम्बर 2019 से 05 दिसम्बर 2019 तक चला। इसमें बिहार पुलिस सेवा के 33 पुलिस उपाधीक्षकों एवं अपर पुलिस उपाधीक्षकों ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किये। तीसरे चरण की ट्रेनिंग 17–19 दिसम्बर, 2019 तक चला। चतुर्थ चरण में 07 जनवरी 2020 से 09 जनवरी 2020 तक 57 पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने ट्रेनिंग ली। पांचवे चरण (21 से 23 जनवरी 2020) में बिहार पुलिस सेवा के 13 पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये। छठे चरण में दिनांक (04 से 06 फरवरी, 2020) बिहार पुलिस सेवा के 12 पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण लिये।

अबतक संचालित प्रशिक्षण में कुल 145 पुलिस सेवा के पदाधिकारियों ने आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हैं। प्रशिक्षण में मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों ने लिये आपदाओं से निपटने का ज्ञान

प्राधिकरण की 10 एवं 11वीं बैठक के निर्णय के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी, 2018 से प्रारंभ किया गया। वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में चल रहा है। माह अक्टूबर, 2019 तक कुल 914 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13 जून 2018 की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप जून में बाढ़ प्रवण जिलों में स्थानांतरित आपदा प्रबंधन के गैर अनुभवी, बीडीओ एवं सीओ का प्रशिक्षण अपरांत अप्रैल 2019 से बिपार्ड में प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्पन्न होने में 91 नव नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। 15–16 अक्टूबर को 15 एवं 24–25 अक्टूबर को बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 प्रशिक्षु पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में दिया गया। इसी क्रम में 11 से 12 फरवरी 2020 को नव नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 55 प्रशिक्षु पदाधिकारियों का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार फरवरी, 2020 तक राज्य के बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 969 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

सम्मानित हुए भूकंप सुरक्षा अभियान के हितभागी

भूकंप आपदा की जानकारी के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन के तहत् सरदार पटेल भवन, पी.एम.सी.एच., आई.जी.आई.सी., बिस्कोमान भवन तथा अन्य 110 जगहों पर भूकम्प सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। इस दौरान प्रचार–प्रसार के लिए

पटना एवं आस–पास के क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के बेहतर आयोजन और इस अभियान को सफल बनाने में निर्माण कला मंच, आपसदारी कला मंच, प्रस्तुती, जयप्रभा अकादमी, प्रवीण साहित्यक मंच एव दोस्ताना सफर शामिल थे। सफल आयोजन के लिए 18 फरवरी, 2020 को पटना म्यूजियम में आयोजित इस समारोह में आपदा प्रबंधन विभाग, 9 एन.डी.आर.एफ., बिहटा, एस.डी.आर.एफ., बिहटा, बिहार अग्निशाम सेवाऐं, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहार अश्वारोही सैन्य पुलिस, पटना यातायात पुलिस, पटना जिला प्रशासन, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, कॉम्फेड, सीमेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक तथा यूनिसेफ को सम्मानित किया गया। हितभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

भूकंप की जानकारी नयी पीढ़ी को हो ताकि भविष्य में भूकंप की चुनौती का सामना करने में उन्हें कठिनाई न हो। इसी विचार के तहत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। स्कूली बच्चों में इसकी जानकारी पहुंचे इसके लिए 26 जनवरी, 2020 को स्थानीय इको पार्क में करीब 450 स्कूली बच्चों के बीच आयोजित चित्रांकन, नारा लेखन तथा क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रथम पुरस्कार श्री आनंद कुमार, सुश्री कोमल कुमारी, सुश्री सुप्रिया कुमारी, सुश्री तान्या कुमारी, (1000 रू0 की राशि, प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो), द्वितीय पुरस्कार सुश्री अंशु कुमारी, सुश्री प्रीती कुमारी, श्री हनी पाण्डेय, (750 रू0 की राशि, प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो) एवं तृतीय पुरस्कार सुश्री प्रीति कुमारी, सुश्री अंजली कुमारी, सुश्री नन्दिनी कुमारी, सुश्री स्नेहा कुमारी (500 रू0 की राशि, प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो), देकर पुरस्कृत किये गये। विजेताओं के चयन के लिए निर्णायक मंडल में शामिल श्रीमती माधुरी भट्ट, संत जोसेफ कॉन्वेंट, श्रीमती इंन्दु उपाध्याय, संत जोसेफ कॉन्वेंट एवं श्री पवन, कार्टूनिस्ट, दैनिक हिन्दुस्तान भी सम्मानित किये गए। इस मौके पर लोगों को भूकंप एवं इसके बचाव की जानकारी दी गयी। 21–28 जनवरी, 2020 तक आयोजित इस सप्ताह में जगह–जगह मॉकड्रिल कर लोगों को इसकी भयावहता की जानकारी दी ताकि बच्चे ऐसी आपदाओं में अपने साथ–साथ दूसरो को भी बचा सके।

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

अस्पतालों को अग्नि जैसे आपदा से बचाने के लिए प्राधिकरण के स्तर पर लगातार प्रयास जारी है। इसके लिए विशेषाज्ञों और अस्पताल के प्रबंधकों के साथ विमर्श का दौर भी चल रहा है। 'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत 13 फरवरी, 2020 को प्राधिकरण के वरीय सदस्य डॉ० उदय कांत मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 16 बिन्दु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर बिहार के 21 जिलों के लगभग 250 अस्पतालों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गयी। पटना के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में अग्नि प्रवणता में आयी कमी को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित अधिकारियों को बिहार के अन्य अस्पतालों में भी इन्हीं उपायों से

अग्नि से सुरक्षित बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिलों के मुख्य सरकारी अस्पतालों से संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर पुनः इसका निरीक्षण किया जाएगा। दायित्व के अनुसार अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यों का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सुरक्षा के इन महत्वपूर्ण दायित्व का पालन कर सकें।

बैठक में सदस्य के द्वारा 16 बिन्दु "अग्नि प्रवणता सूचकांक" पर बिन्दुवार चर्चा हुई। प्रत्येक बिन्दु को विस्तृत रूप से विमर्श कर प्रतिनिधियों को इससे सम्बन्धित प्रश्नों एवं शंकाओं का निराकरण किया गया। यह भी तय किया गया कि '16 बिन्दु प्रवणता सूचकांक' की सामग्री को हिन्दी में अनुवाद कर अग्निशाम सेवा को उपलब्ध कराया जाये। बैठक में श्री पंकज सिन्हा, उप महानिरीक्षक अग्निशाम सेवा के अतिरिक्त जिला समादेष्टा एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया।

भागलपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में अग्नि सुरक्षा पर क्षमतावर्धन

अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया में अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर क्षमतावर्धन

इस उच्चस्तरीय बैठक में लिए गये निर्णय के आधार पर 18 फरवरी, 2020 को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया। 19 फरवरी, 2020 को भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर में एक दिवसीय बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में प्राधिकरण द्वारा अस्पताल अग्नि सुरक्षा से जुड़े हितभागियों का क्षमतावर्द्धन किया गया। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से अस्पताल के कर्मियों व संबंधित अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों आदि ने बैठक में भाग लिए।

पुनर्नवा के अप्रैल-जून अंक में पढ़ें

कैसे बनायें-भूकम्परोधी भवन

मास मैसेजिंग : आपदा से निपटने के लिए जनहित में जारी हुए संदेश

आपदा पूर्व सूचना के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वार्ड स्तर पर संभावित खतरों के प्रति आगाह करने के लिए जनहित में संदेश जारी करता है ताकि संबंधित आपदा के प्रति लोग सतर्क रहें। इससे जहां आपदा के जोखिम को कम करने में सफलता मिलेगी वहीं जान–माल की क्षति भी कम होगी। फरवरी में "**सड़क दुर्घटना से बचने के उपायों**, पर संदेश जारी कर लोगों को आपदा के प्रति आगाह किया गया। यह संदेश राज्य के 643122 पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद् सदस्य, 77542 आशा कार्यकर्त्ता, 148890 जीविका दीदी, 45946 आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ–साथ 142 प्रशिक्षित फायर सर्विसेस के अधिकारियों को भेजा गया। वहीं प्रशिक्षित 1542 फोकल टीचर, 3520 नाविक एवं नाव मालिक, 968 मुखिया और सरपंच, 785 अभियंता, 2529 मैसन, आदि को संदेश भेज कर जागरूक किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों में DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), DCLR (102), Commisioners (9) को भी लगातार Mass Messaging कर संभावित आपदा और बचाव की जानकारी दी गयी।

मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत **'सुरक्षित शनिवार'** की मोनिटरिंग के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हर सप्ताह वार्षिक सारणी पर आधारित मास मैसेजिंग किया जा रहा है। जो इस प्रकार हैं –

सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय–

- सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय कान में इयरफोन लगा कर न चलें।
- दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाले सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।
- हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें।
- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ें।
- गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें।

प्रथम शनिवार

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम:

इस कार्यक्रम के तहत भूकंप के खतरे एवं बचाव के सुरक्षित शनिवार के अन्तर्गत 01 फरवरी, 2020 को बिहार के सभी विद्यालयों में बच्चों को भूकंप के खतरे एवं बचाव कीं जानकारी दी गयी अभ्यास (मॉकड्रिल) कराया गया। इसमें बचाव के लिए बच्चों से मॉकड्रिल कराया गया। शिक्षकों से कहा गया कि बच्चों को आपदओं से सुरक्षित रखने के लिए यह मूल्यवान है।

दूसरा शनिवार

कुपोषण की समस्या एवं उपाय : –

सुरक्षित शनिवार के तहत शनिवार 08 फरवरी, 2020 को राज्य के सभी विद्यालयों के अंतिम सत्र में बच्चों को **कुपोषण से होनेवाली परेशानियों एवं बचाव की** जानकारी दी गयी।

साभार : डेलीडोलफिन.एचबीसीएसडी.ओआरजी

तीसरा शनिवार

बिजली की घात, जल जमाव से परेशानी व बोरिंग के गड्ढे (बोरवेल) से होने वाली घटनाऐं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम – सुरक्षित शनिवार के तहत 15 फरवरी, 2020 को बिहार के सभी विद्यालयों में **बिजली से घात, जल जमाव से परेशानी व बोरिंग के गड्ढे से होने वाली घटनाओं के सन्दर्भ में** जानकारी दी गयी।

<u>चौथा शनिवार</u>

बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ की जानकारी : मुख्यमंत्री विद्यालयों सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी 2020 को राज्य के सभी विद्यालयों में बच्चों को बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के बारे में जानकारी दी गयी।

<u>पाँचवा शनिवार</u>

स्वच्छता की जानकारी : मुख्यमंत्री विद्यालयों सुरक्षा कार्यक्रम–सुरक्षित शनिवार के अन्तर्गत इस शनिवार के कार्यक्रम –

29 फरवरी, 2020 को बिहार के सभी विद्यालयों में **बच्चों को स्वच्छता के बारे में** जानकारी दी गयी।

उपरोक्त सभी संदर्भ में सभी संदेश मुखिया, सरपंच, प्रमुख बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित, डी.पी.ओ., डी.एम., ए.डी.एम., बी.डी.ओ., सी.ओ., डी.सी.एल.आर. और सभी कमिशनर को भेजा गया।

सुरक्षित आशियाना : भूकम्परोधी भवन निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग तकनिक के लिए प्रशिक्षण

अब तक 13,308 राजमिस्त्रियों और 2,437 अभियंताओं ने लिए प्रशिक्षण

राज्य में भूकंपरोधी भवन निर्माण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रयास जारी है। प्राधिकरण इसके लिए लगातार भवन निर्माण से जुड़े राजमिस्त्रियों और अभियंताओं को प्रशिक्षित कर रहा है। इस अभियान के तहत 26 फरवरी से 03 मार्च 2020 तक, सारण जिले के 20 प्रखंडों में 564 राजमिस्त्रियों को सात दिवसीय भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। 04 से 07 मार्च 2020 तक सिवान जिले के दूसरे बैच में 23 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण विषय पर ट्रेनिंग दी गयी। 06 मार्च 2020 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण लिए प्रशिक्षकों, भावी प्रशिक्षकों के कुल 13 प्रशिक्षुयों ने एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में शामिल हुए। 12 मार्च 2020 को 54 विशेषज्ञों का एक दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स संपन्न हुआ।

फरवरी 2020 तक कुल 12744 राजमिस्त्रियों एवं 2414 असैनिक अभियंताओ को प्रशिक्षित किये। इस प्रकार मार्च 2020 तक कुल **13308 राजमिस्त्रियों** को एवं **2437 असैनिक अभियंताओं** को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मार्च 2020 में संचालित कार्यक्रम

राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स			
क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण तिथि/स्थान	प्रशिक्षित प्रतिभागी
1	राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण	26 फरवरी से 03 मार्च/सारण जिला के सभी प्रखंडों में	564 राजमिस्त्रियों
2	अभियंताओं का चार दिवसीय प्रशिक्षण	04 से 07 मार्च/सिवान जिला मुख्यालय	23 अभियंताओं
3	रिफ्रेशर कोर्स	06 एवं 12 मार्च को BSDMA, पटना में।	

सारण जिला के सभी प्रखंडों में राजमिस्त्रियों का सात दिवसीय प्रशिक्षण, दिनांक 26 फरवरी से 03 मार्च 2020		
क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की संख्या
1	मशरक	28
2	अमनौर	29
3	सोनपुर	29
4	मकेर	25
5	दिघवारा	27
6	सारण सदर	29
7	जलालपुर	28
8	बनियापुर	27
9	तरैया	29
10	परसा	29
11	रिविलगंज	30
12	मांझी	26
13	मढ़ौरा	29
14	पानापुर	30
15	इसुआपुर	29
16	नगरा	28
17	गड़खा	30
18	दरियापुर	29
19	एकमा	24
20	लहलादपुर	29
		कुल 564

अगलगी पर नियंत्रण
एक दिवसीय कार्यशाला''का आयोजन

अगलगी की घटना को रोकने अथवा कम करने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। प्राधिकरण के स्तर पर अगलगी की घटना को कम करने के लिए इससे जुड़े भागीदारों एवं फॉयर फाइटर को लगातार नई जानकारियाँ दी जा रही है ताकि अगलगी की घटना में होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सके। इस योजना के तहत प्राधिकरण ने एक मार्गदर्शिका तैयार किया है। मार्गदर्शिका पर विमर्श के लिए 05 मार्च, 2020 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री व्यास जी, डॉ0 उदय कांत मिश्र, और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव व बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव, श्री श्याम बिहारी मीणा इस अवसर पर मौजुद थे।

कार्यशाला में अगलगी की रोकथाम जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन संबंधी मार्गदर्शिका पर विमर्श किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार अग्निशाम सेवाऐं, शिक्षा विभाग, उर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं नागरिक समुदाय विभिन्न एन.जी.ओ. एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में किये जा रहे कार्यों से अवगत होना था।

कार्यशाला में प्राधिकरण द्वारा तैयार मार्गदर्शिका पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। वहीं अस्पताल अग्नि सुरक्षा पर प्रस्तुतीकरण एवं एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अग्निकांड में निर्धारित सहाय्य मानदर पर भी चर्चा हुई। अग्नि से बचाव में राज्य अग्निशाम सेवाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं तैयारियों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। वहीं अगलगी से बचाव में एस.डी.आर.एफ. के भूमिका पर भी लोगों को जानकारी दी गई।

कार्यशाला में आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा, विभाग, उर्जा विभाग, बिहार अग्निशाम सेवाऐं, आई0ओ0सी0एल0 सहित विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंधन पदाधिकारी यथा ए0डी0एम0, एस0डी0सी0, जिला अग्निशाम पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, मुखिया, सरपंच, प्रमुख सहित करीब 175 प्रतिभागियों की भागीदारी हुई।

बहुत जरूरी हो तो हीं
घर से बाहर निकलें।

कोरोना से लड़ने वाले वीर योद्धा

आरक्षक चंद्रगुप्त नाथ तिवारी
9 बटालियन, (एन0 डी0 आर0 एफ0)

संकट की घड़ी में, देश जब लाचार होता हैं।
आपदाओं से चारों ओर, हाहा कार होता हैं।।
टूटे जब तार जीवन का, किसी को कुछ नही सूझता ।
जीवन को जोड़ते दिखते, हमारे वीर योद्धा हैं।।

जो कल तक साथ थे, जब वे भी नाता तोड़ जाते हैं।
मुश्किल वक्त में परिजन, भी पीछा छोड़ जाते हैं।।
कोरोना के कहर से, छटपटाते लोग जब दिखते।
उन्हें ढूंढ–ढूंढ के पहुँचाते, हमारे वीर योद्धा हैं।।

मरीजों के प्रबंधन में, लगे दिन–रात रहते हैं।
बीमारी दूर कर सबको, सदा खुशहाल रखते हैं।।
कर्त्तव्य के पालन में, संकल्पित जो सदा रहते हैं।
अडिग रहे अस्पतालों में, हमारे वीर योद्धा हैं।।

जन–जागरुक करने का, हर पल काम करते हैं।
आपदाओं से बचने का, सदा अभियान करते हैं।।
जीवन दांव पर रखकर, दूसरों की जीवन ही बचाते जो।
आपदा मे कार्यरत रहते, हमारे वीर योद्धा हैं।।

कचड़ा साफ कर गलियां, हमें स्वच्छ रखता जो।
कोई बीमारी ना पनपे, इसका ख्याल रखता जो।।
सड़क व चौक–चौराहों को, संक्रमण मुक्त जो करते ।
नित–दिन कार्यरत रहते, हमारे वीर योद्धा हैं।।

गरीबों के प्रबंधन में, लगे हर वक्त रहते हैं।
भूखे पेट ना रह जाये कोई, ख्याल रखते हैं।।
घर अपना छोड़ के अक्सर, दूसरों के लिए जीते।
सेवा में लगे रहते, हमारे वीर योद्धा हैं।।

सहारा बेसहारों को, दे उसकी रक्षा करता है।
हर गलियां, सड़क व राष्ट्र की सुरक्षा करता है।।
जिसके रहते परिंदा भी, पर मार न सकते।
असल में देश के सच्चे, हमारे वीर योद्धा हैं।।

जय हिंद

नौनिहालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शनिवार

सोसल मिडिया से

सड़क सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला वाक

मास्क पहनिए,
काम पर चलिए।

NEXT CITY FOCUS

नगर निगम सोशल डिस्टेंस के साथ देगा फ्री लॉजिंग और फूड

3 पटना

कोरोना से जंग

रैन बसेरों में मुफ्त भोजन व आवास की व्यवस्था

आपदा में दुनिया की जीडीपी का 8 फीसदी होता है बर्बाद

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

जागरूकता

- बिहार म्यूजियम में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ
- आपदा की चुनौतियों को गंभीरता से लेने की सलाह दी गई

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने कहा है कि आपदा के कारण दुनिया की जीडीपी का आठ फीसदी बर्बाद हो जाता है। आपदा से होने वाली क्षति और मौत को सबकी सहभागिता से ही रोकी जा सकती है।

के आनंद कुमार, अंशु कुमारी, प्रीति कुमारी, जूनियर वर्ग में कोमल, अंजलि, सुप्रिया, हनी पांडेय, नंदनी कुमारी, तान्या और स्नेहा समेत अन्य को नकद राशि और प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं एनडीआरएफ के बालचंद, एसडीआरएफ के फरीदुद्दीन, पीएमसीएच के प्राचार्य डॉ विद्यापति चौधरी, ओएसडी कुमार अरुण, एनएसएस के प्रो अतुल आदित्य पांडेय, यूनिसेफ के घनश्याम मिश्र, इंडियन बैंक के पंकज कुमार, प्रवीण सांस्कृतिक मंच के विजेंद्र टॉक, दोस्ताना सफर से रेशमा प्रसाद, शिक्षिका शारदा, माधुरी सिंह, इंदु उपाध्याय, कार्टूनिस्ट पवन, अग्निशमन सेवा, बिहार पुलिस के अश्वारोही दल को भी

निराश्रितों को रैन बसेरों में आवास व भोजन देगा निगम

नगर आयुक्त ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा

सड़क पर सोए गरीब-मजदूरों को करा रहे भोजन

बीएमपी14 के कांस्टेबल मिलकर लोगों के लिए बना रहे खाना

कम्युनिटी किचेन

ड्यूटी के बाद रात में गरीबों को खिला रहे खाना

भूकंप आये तो झुको, ढको और पकड़ो

एनडीआरएफ द्वारा बिस्कोमान भवन में मॉक ड्रिल

निर्देश. मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली-2020 के प्रारूप

इमरजेंसी में ही भू-जल का प्रयोग करे फायरब्रिगेड

फायरब्रिगेड को पानी की व्यवस्था के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान

अग्निशमन सेवा नियमावली-2020 के प्रारूप के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य।

नियमावली के प्रावधान को 7 3

THURSDAY, JANUARY 23, 2020

New fire safety rules: ₹10k fine & jail term proposed

Piyush.Tripathi@timesgroup.com

Patna: Violation of fire safety norms will lead to imprisonment of up to three months or fine of up to Rs 10,000 as per provisions of the proposed Bihar Fire Services Rules.

PROPOSED RULES

- Appointment of fire officers in malls and cinema halls etc
- Mandatory installation of fire-fighting equipment in buildings
- Penalty of up to ₹10,000 or ₹500 day in case of continuing offence
- Imprisonment of up to three months

बिहार आपदा सुरक्षित राज्य बनेगा : व्यास जी

निजी भवनों, स्कूलों, अस्पतालों को भूकंपरोधी बनाने की जरूरत : केएम सिंह

Bihar Earthquake Disaster Management Guidelines

Consultation Workshop 28-29 January 2020

नववर्ष के मौके पर प्राधिकरण के कैलेन्डर का लोकार्पण
करते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

तैराकी प्रशिक्षण शुरू करने से पहले
वार्मअप होते बच्चे

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

Printed by : Bharat Printing Works, Qty. - 1100